
प्रवेश-विवरणिका

(पी-एच.डी. कार्यक्रम) 2021-22





महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय (संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997, क्रमांक 3 के अंतर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)

(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997, क्रमांक 3 के अंतर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय) नैक (NAAC) द्वारा 'A' ग्रेड प्रदत्त



महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय

महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय की स्थापना संसद द्वारा 1996 ई. में पारित अधिनियम के अंतर्गत 1997 ई. में केंद्रीय विश्वविद्यालय के रूप में की गई। देश का यह पहला अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की कर्मभूमि सेवाग्राम (वर्धा) से लगभग दस किलोमीटर दूर नागपुर-मुंबई राजमार्ग पर अवस्थित है। विश्वविद्यालय का क्षेत्रफल लगभग 212 एकड़ है।

विश्वविद्यालय की स्थापना सुदीर्घ प्रयत्नों का सुफल है। हिंदी भाषा और साहित्य की उन्नित के साथ ज्ञान के विभिन्न अनुशासनों में अध्ययन, अनुसंधान और प्रशिक्षण के लिए एक समर्थ माध्यम के रूप में हिंदी का सम्यक् विकास इसका प्रधान लक्ष्य है। देश-दुनिया की भाषाओं के साथ हिंदी के तुलनात्मक अध्ययन तथा उनसे अधुनातन अनुशासनों की अद्यतन ज्ञान-सामग्री का हिंदी में अनुवाद और विकास विश्वविद्यालय की प्राथमिकता है। आज के बहुभाषा-भाषी विश्व में एक समर्थ अंतरराष्ट्रीय भाषा के रूप में हिंदी की पहचान स्थापित करना भी विश्वविद्यालय का प्रमुख लक्ष्य है। विश्वविद्यालय में भाषा विद्यापीठ, साहित्य विद्यापीठ, संस्कृति विद्यापीठ, अनुवाद एवं निर्वचन विद्यापीठ, सामाजिक विज्ञान विद्यापीठ, विधि विद्यापीठ, शिक्षा विद्यापीठ एवं प्रबंधन विद्यापीठ के अंतर्गत शोध, परास्नातक, स्नातक, पी.जी. डिप्लोमा, एडवांस्ड डिप्लोमा, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। प्रयागराज तथा कोलकाता में विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय केंद्र हैं जहाँ कई कार्यक्रम संचालित हो रहे हैं। इसके साथ ही विश्वविद्यालय में दूर शिक्षा निदेशालय है जहाँ दूर शिक्षा के माध्यम से विभिन्न कार्यक्रमों का संचालन हो रहा है।

विश्वविद्यालय ने अपने अंतरराष्ट्रीय स्वरूप को दृष्टिगत रखते हुए 2011 ई. से अंतरराष्ट्रीय समुदाय के शिक्षकों के लिए अभिविन्यास कार्यक्रम प्रारंभ किया है। इस विश्वविद्यालय में आवासीय परिसर के साथ साइबर परिसर की सह-परिकल्पना की गई है। इसके लिए आधुनिक तकनीकी उपादानों को संयोजित किया गया है। साइबर परिसर को संभव बनाने के लिए विश्वविद्यालय में 'लीला' (Laboratory in Informatics for Liberal Arts) की स्थापना की गयी है। पारंपरिक पुस्तकालय के साथ डिज़िटल पुस्तकालय का विकास भी विश्वविद्यालय की योजना का अंग है। मौलिक और मानक ग्रंथों का प्रकाशन, दुर्लभ पांडुलिपियों, चित्रों, दस्तावेज़ों का संग्रह, विश्वकोशों और संदर्भकोशों का निर्माण आदि विश्वविद्यालय की अनुठी योजनाएँ हैं।

I



कुलपति का संदेश ...

प्रिय छात्र-छात्राओं!

अकादिमक सत्र 2021-22 हेतु विश्वविद्यालय परिसर में आपका स्वागत।

इस विश्वविद्यालय की स्थापना भारत भारती हिंदी को केंद्र में रख कर विभिन्न क्षेत्रों में ज्ञान का सृजन करने और समर्थ युवा पीढ़ी के निर्माण के लिए एक अंतरराष्ट्रीय संस्थान के रूप में की गई। विश्वविद्यालय से यह अपेक्षा होती है कि वहाँ से उपजते नए विचार और नवाचार जीवन की गुणवत्ता के संवर्धन में सहायक होंगे। सूचना और ज्ञान के विस्फोट के वर्तमान युग में शिक्षा संस्थानों के लिए ज्ञान को व्यापक समाज तक प्रभावी ढंग से पहुँचाना एक जटिल चुनौती बनती जा रही है। ऐसे में यह विश्वविद्यालय आधुनिक तकनीकों का उपयोग करते हुए विद्यार्थियों को एक जीवंत शैक्षिक और सांस्कृतिक परिवेश उपलब्ध कराता है जहाँ विविध सृजनात्मक प्रवृत्तियों के विकास पर बल दिया जाता है। यहाँ पर माननीय राष्ट्रपति और कुलाध्यक्ष ने भाषा, साहित्य, संस्कृति, अनुवाद एवं निर्वचन, सामाजिक विज्ञान, विधि, शिक्षा तथा प्रबंधन के विद्यापीठों में अध्ययन-अध्यापन और शोध की अनुमति दी है। इस सत्र से हिंदी और भारतीय भाषाओं के माध्यम से विधि शिक्षा के उद्देश्य से बी.ए.एलएल.बी. (ऑनर्स) पंचवर्षीय कार्यक्रम भी प्रारंभ हो रहा है। इस समय संचालित शैक्षिक विभाग एवं केंद्र इस प्रकार हैं:- भाषा विज्ञान एवं भाषा प्रौद्योगिकी, विदेशी भाषा एवं अंतरराष्ट्रीय अध्ययन, भारतीय भाषा, हिंदी एवं तुलनात्मक साहित्य, मराठी साहित्य, संस्कृत साहित्य, गांधी एवं शांति अध्ययन, स्त्री अध्ययन, डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर-सिदो-कान्ह् मुर्मू दलित एवं जनजातीय अध्ययन, डॉ. भदंत आनंद कौसल्यायन बौद्ध अध्ययन, दर्शन एवं संस्कृति, अनुवाद अध्ययन, प्रवासन एवं डायस्पोरा अध्ययन, पराविद्या उच्च शोध एवं ज्ञान-सर्जन, महात्मा गांधी पयूजी गुरुजी सामाजिक कार्य अध्ययन, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र, इतिहास, शिक्षा, जनसंचार, सूचना एवं भाषा अभियांत्रिकी, प्रदर्शनकारी कला, मानवविज्ञान, मनोविज्ञान तथा प्रबंधन एवं वाणिज्य। इन विभिन्न अनुशासनों में अध्ययन-अध्यापन और शोध किया जाता है। हिंदी भाषा के बह्विध प्रयोग को समर्थ बनाने के लिए प्रयास किया जा रहा है। यहाँ विदेशी विद्यार्थियों के लिए हिंदी के अध्ययन की स्विधा भी उपलब्ध है। विश्वविद्यालय का दूर शिक्षा निदेशालय अनेक विषयों में अध्ययन की सुविधा उपलब्ध करा रहा है।

कोविड-19 ने शिक्षा व्यवस्था के समक्ष एक गंभीर चुनौती खड़ी की है। विश्वविद्यालय ने इस चुनौती को स्वीकार कर कक्षाओं सिहत सभी अकादिमक गतिविधियों को सफलतापूर्वक संचालित किया। इसके साथ ही विश्वविद्यालय ने अपने अन्य सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करते हुए कई कार्य किये। विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए विश्वविद्यालय पूर्णरूपेण प्रतिबद्ध है।

इस विश्वविद्यालय की शैक्षिक प्रक्रिया में संचार की नई तकनीकों, कल्पनाशीलता तथा सीखने के अनुभवपरक अवसरों के साथ-साथ सामाजिक जीवन से जुड़ने को भी महत्त्व दिया जाता है। मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ के प्राकृतिक परिवेश और अध्ययन के लिए उपलब्ध सुविधाओं के साथ आप एक सिक्रिय विद्यार्थी के रूप में आगे बढ़ सकेंगे। मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता है कि नैक (NAAC) द्वारा मूल्यांकन के पश्चात् विश्वविद्यालय को "A" ग्रेड प्रदान किया गया है जो विश्वविद्यालय के उच्च शैक्षिक स्तर का द्योतक है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति : 2020 के क्रियान्वयन के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय स्तर की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए विश्वविद्यालय कृतसंकल्प है तथा इस दिशा में देश के अग्रगण्य विश्वविद्यालय के रूप में अग्रसर है।

मुझे विश्वास है कि महात्मा गांधी और महान संत विनोबा भावे की कर्मभूमि में स्थित यह विश्वविद्यालय आपके समग्र व्यक्तित्व का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक दृष्टियों से विकास करते हुए आपको एक योग्य व्यक्ति बनने का अवसर देगा। मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि विश्वविद्यालय के अध्यापक और कर्मचारी आने वाले सभी विद्यार्थियों के अध्ययन को सफल बनाने के लिए हर संभव सहायता उपलब्ध कराएँगे।

हार्दिक शुभकामनाओं सहित,

(प्रो. रजनीश कुमार शुक्ल)

कुलपति

अनुक्रम

1.	विश्वविद्यालय के विद्यापीठ : विभाग एवं केंद्र भाषा विद्यापीठ	01
	साहित्य विद्यापीठ	• .
	संस्कृति विद्यापीठ	03
	अनुवाद एवं निर्वचन विद्यापीठ	04
	सामाजिक विज्ञान विद्यापीठ	05
	विधि विद्यापीठ	
	शिक्षा विद्यापीठ	
	प्रबंधन विद्यापीठ —————————————————————	07
2.	क्षेत्रीय केंद्र, प्रयागराज	07
3.	क्षेत्रीय केंद्र, कोलकाता ===================================	08
4.	अंतरराष्ट्रीय विद्यार्थियों के लिए हिंदी कार्यक्रम	
5.	पी-एच.डी कार्यक्रम	09-11
6.	शुल्क-विवरण	11
7.	प्रवेश के नियम	12-14
8.	रैगिंग निषेध संबंधी विवरण	14
9.	उपलब्ध सुविधाएँ	
10.	अकादमिक कैलेंडर 2021–22	
11.	प्रवेश-परीक्षा कार्यक्रम 2021-22	20
12.	पी-एच.डी. अध्यादेश एवं अन्य जानकारियां	21-39
13.	कोविड-19 जागरूकता	41



श्री राम नाथ कोविंद कुलाध्यक्ष



प्रो. कमलेशदत्त त्रिपाठी कुलाधिपति



प्रो. रजनीश कुमार शुक्ल कुलपति



प्रो. हनुमानप्रसाद शुक्ल प्रतिकुलपति एवं वित्त अधिकारी



डॉ. चंद्रकांत एस. रागीट प्रतिकुलपति



कादर नवाज़ खान कार्यकारी कुलसविव

विश्वविद्यालय के विद्यापीठ, विभाग एवं केंद्र

भाषा विद्यापीठ



भाषा विद्यापीठ, महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय अधिनियम-1997 द्वारा स्थापित आरंभिक चार (04) विद्यापीठों में से एक है। इस विद्यापीठ की संकल्पना भाषा केंद्रित अध्ययन के एक अनूठे केंद्र के रूप में की गयी है। हिंदी भाषा का विकास, प्रोन्नयन और पहचान स्थापित करना विद्यापीठ का मूल उद्देश्य है। एतदर्थ हिंदी की प्रभावी प्रकार्यात्मक क्षमता तथा अंतरराष्ट्रीय भाषा के रूप में उसका विकास विद्यापीठ का अभीष्ट लक्ष्य है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए विद्यापीठ की मुख्य कार्य-योजनाएँ इस प्रकार हैं—

- 1. हिंदी भाषा के सभी पक्षों का भाषावैज्ञानिक अध्ययन।
- हिंदी एवं उसकी आधार भाषाओं (अवधी, ब्रज, भोजपुरी, मारवाड़ी, मालवी आदि) संबंधी सर्वेक्षण तथा अध्ययन।
- 3. हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाओं का तुलनात्मक अध्ययन।
- 4. भाषाविज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उपलब्ध ज्ञान को हिंदी के लिए सुलभ बनाना।
- 5. हिंदी के लिए प्रौद्योगिकीय उपकरणों एवं सॉफ्टवेयर का विकास।
- 6. भाषाविज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संबंधी मौलिक ज्ञान का हिंदी में सृजन।
- 7. हिंदी के क्षितिज-विस्तार के लिए विदेशी भाषाओं का अध्ययन।
- 8. अंतरराष्ट्रीय विद्यार्थियों एवं शिक्षकों के लिए विविध शैक्षणिक कार्यक्रमों का आयोजन।

इन कार्य-योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए शिक्षण, प्रशिक्षण, शोध और विविध प्रकार के विस्तार कार्यक्रम संचालित किये जाते हैं। भाषा विद्यापीठ में निम्नलिखित विभाग / केंद्र स्थापित किये गये हैं—

भाषा विज्ञान एवं भाषा प्रौद्योगिकी विभाग संचालित कार्यक्रम

- पी-एच.डी. हिंदी (भाषाविज्ञान), पी-एच.डी. हिंदी (भाषा प्रौद्योगिकी), पी-एच.डी. हिंदी (भाषाशिक्षण)
- स्नातक (ऑनर्स) (2019-22)
- राष्ट्रीय शिक्षा नीतिः 2020 के अंतर्गत स्नातक (2021-24/25) प्रत्येक वर्षांत में निष्क्रमण सुविधा सहित

- भाषाशिक्षण में पी.जी. डिप्लोमा
- भाषाविज्ञान में पी.जी. डिप्लोमा

2. विदेशी भाषा एवं अंतरराष्ट्रीय अध्ययन केंद्र

संचालित कार्यक्रम

- पी-एच.डी. स्पैनिश (भाषा / भाषाविज्ञान / अनुवाद)
- स्नातक (ऑनर्स) (2019-22)
- राष्ट्रीय शिक्षा नीतिः 2020 के अंतर्गत स्नातक (2021-24/25) प्रत्येक वर्षांत में निष्क्रमण सुविधा सहित
- पी-एच.डी. फ्रांसीसी (भाषा / भाषाविज्ञान / अनुवाद)
 रनातक (ऑनर्स) (2019-22)
 राष्ट्रीय शिक्षा नीतिः 2020 के अंतर्गत स्नातक (2021-24 / 25) प्रत्येक वर्षांत में निष्क्रमण सुविधा सहित
- पी-एच.डी. चीनी (भाषा / भाषाविज्ञान /अनुवाद)
- स्नातक (ऑनर्स) (2019-22)
- राष्ट्रीय शिक्षा नीतिः 2020 के अंतर्गत स्नातक (2021-24/25) प्रत्येक वर्षांत में निष्क्रमण सुविधा सहित
- स्पैनिश भाषा में सर्टिफिकेट
- फ्रांसीसी भाषा में सर्टिफिकेट
- चीनी भाषा में सर्टिफिकेट
- जापानी भाषा में सर्टिफिकेट

3. सूचना एवं भाषा अभियांत्रिकी केंद्र संचालित कार्यक्रम

- पी-एच.डी. इंफॉर्मेटिक्स एंड लैंग्वेज इंजीनियरिंग
- एम.सी.ए
- एम.टेक. (कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स)
- राष्ट्रीय शिक्षा नीतिः 2020 के अंतर्गत स्नातक (2021-24/25) प्रत्येक वर्षांत में निष्क्रमण सुविधा सहित
- कंप्यूटर अनुप्रयोग में पी.जी. डिप्लोमा

4. भारतीय भाषा विभाग संचालित कार्यक्रम

- संस्कृत भाषा में सर्टिफिकेट
- मराठी भाषा में सर्टिफिकेट
- उर्दू भाषा में सर्टिफिकेट

साहित्य विद्यापीठ



साहित्य विद्यापीठ, महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, अधिनियम-1997 द्वारा स्थापित आरंभिक चार (०४) विद्यापीठों में से एक है। साहित्य विद्यापीठ हिंदी के साथ.साथ भारतीय एवं विश्व साहित्य के अध्ययन-अध्यापन के लिए समर्पित है। विश्वविद्यालय के उद्देश्य में ही निहित है कि हिंदी भारतीय भाषाओं से संवाद करती हुई राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्थापित हो।

साहित्य समावेशी विद्या है, ज्ञान के विभिन्न अनुशासनों और कलाओं के साथ उसका घनिष्ठ संबंध रहा है। इस दृष्टि से अंतरानुशासनिक अध्ययन एवं शोध इस विद्यापीठ की प्रमुख गतिविधि है। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए विद्यापीठ में निम्नलिखित विभाग स्थापित किये गये हैं:-

1. हिंदी एवं तुलनात्मक साहित्य विभाग संचालित कार्यक्रम

- पी-एच.डी. हिंदी साहित्य
- एम.ए. हिंदी साहित्य
- एम.ए. हिंदी (तुलनात्मक भारतीय साहित्य)
- एम.ए. हिंदी (अनुवाद)
- एम.ए. हिंदी (भाषाशिक्षण)
- स्नातक (ऑनर्स) (2019-22)
- स्नातक अंग्रेजी (ऑनर्स) (2019-22)
- बी.ए. हिंदी (2020-23)
- राष्ट्रीय शिक्षा नीतिः 2020 के अंतर्गत स्नातक (2021-24/25) प्रत्येक वर्षांत में निष्क्रमण सुविधा सहित

प्रदर्शनकारी कला विभाग संचालित कार्यक्रम.

- पी-एच.डी. (नाट्यकलाशास्त्र)
- एम.ए. (नाट्यकलाशास्त्र)
- एम.ए. (फिल्म अध्ययन)
- बी.वोक. (फिल्म निर्माण) (2019-22)
- बी.वोक. (अभिनय एवं मंच विन्यास)
 (2019-22)
- राष्ट्रीय शिक्षा नीतिः 2020 के अंतर्गत स्नातक (2021-24/25) प्रत्येक वर्षांत में निष्क्रमण सुविधा सहित

3. मराठी साहित्य विभाग

संचालित कार्यक्रम

- एम.ए. मराठी
- राष्ट्रीय शिक्षा नीतिः 2020 के अंतर्गत स्नातक (2021-24/25) प्रत्येक वर्षांत में निष्क्रमण सुविधा सहित

4. संस्कृत साहित्य विभाग संचालित कार्यक्रम

- पी-एच.डी. संस्कृत
- एम.ए. संस्कृत
- राष्ट्रीय शिक्षा नीतिः 2020 के अंतर्गत स्नातक (2021-24/25) प्रत्येक वर्षांत में निष्क्रमण सुविधा सहित

संस्कृति विद्यापीठ



संस्कृति विद्यापीठ, महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, अधिनियम-1997 द्वारा स्थापित आरंभिक चार (04) विद्यापीठों में से एक है। संस्कृति विद्यापीठ दार्शनिक चिंतन, सांस्कृतिक अध्ययन, समाजविज्ञान विमर्श एवं बहुसांस्कृतिक अकादिमक विकास के लक्ष्य के प्रति समर्पित है। विद्यापीठ की गतिविधियाँ सामाजिक न्याय एवं शांतिपूर्ण विकास के मूल्यों का मार्ग प्रशस्त करती हैं। हिंदी भाषा में गंभीर समाजविज्ञान विमर्श, अंतरानुशासनिक अध्ययन एवं शोध के माध्यम से समाज व संस्कृति के सम्मुख उपस्थित चुनौतियों के अहिंसक एवं शांतिपूर्ण समाधान की तलाश, वंचित एवं हाशिये के समूहों की बराबरी के संघर्ष का अध्ययन करना इस विद्यापीठ के प्रमुख लक्ष्य हैं।

इन उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित विभाग / केंद्र स्थापित किये गये हैं—

गांधी एवं शांति अध्ययन विभाग संचालित कार्यक्रम

- पी-एच.डी. गांधी एवं शांति अध्ययन
- राष्ट्रीय शिक्षा नीतिः 2020 के अंतर्गत स्नातक (2021-24/25) प्रत्येक वर्षांत में निष्क्रमण सुविधा सहित
- मानवाधिकार में पी.जी. डिप्लोमा
- गांधी विचार में पी.जी. डिप्लोमा

2. स्त्री अध्ययन विभाग संचालित कार्यक्रम

- पी-एच.डी. स्त्री अध्ययन
- एम.ए. स्त्री अध्ययन
- राष्ट्रीय शिक्षा नीतिः 2020 के अंतर्गत स्नातक (2021-24/25) प्रत्येक वर्षांत में निष्क्रमण सुविधा सहित जेंडर अध्ययन में पी.जी. डिप्लोमा

3. डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर-सिदो-कान्हू मुर्मू दलित एवं जनजातीय अध्ययन केंद्र संचालित कार्यक्रम

- पी-एच.डी. दलित एवं जनजातीय अध्ययन
- एम.ए. दलित एवं जनजातीय अध्ययन
- राष्ट्रीय शिक्षा नीतिः 2020 के अंतर्गत स्नातक (2021-24/25) प्रत्येक वर्षात में निष्क्रमण सुविधा सहित
- दलित विचार में पी.जी. डिप्लोमा

4. डॉ. भदंत आनंद कौसल्यायन बौद्ध अध्ययन केंद्र संचालित कार्यक्रम

- पी-एच.डी. बौद्ध अध्ययन
- एम.ए. बौद्ध अध्ययन
- राष्ट्रीय शिक्षा नीतिः 2020 के अंतर्गत स्नातक (2021-24/25) प्रत्येक वर्षांत में निष्क्रमण सुविधा सहित
- बौद्ध अध्ययन में पी.जी. डिप्लोमा

5. दर्शन एवं संस्कृति विभाग संचालित कार्यक्रम

- पी-एच.डी. दर्शनशास्त्र
- एम.ए. दर्शनशास्त्र
- राष्ट्रीय शिक्षा नीतिः 2020 के अंतर्गत स्नातक (2021-24/25) प्रत्येक वर्षांत में निष्क्रमण सुविधा सहित

अनुवाद एवं निर्वचन विद्यापीठ



अनुवाद एवं निर्वचन विद्यापीठ, महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय 1. अनुवाद अध्ययन विभाग अधिनियम-1997 द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय. आरंभिक चार (04) विद्यापीठों में से एक है। विश्वविद्यालय अधिनियम द्वारा निर्धारित उद्देश्यों की अनुरूपता में अनुवाद एवं निर्वचन विद्यापीठ के निम्नलिखित कर्त्तव्य हैं-

- अनुवाद संबंधी शोध, शिक्षण एवं प्रशिक्षण के कार्यक्रमों का संचालन।
- भारत और भारत के बाहर विभिन्न ज्ञानानुशासनों के क्षेत्र में संपन्न अनुसंधान और ज्ञान-सामग्री को मुख्यतः हिंदी एवं भारतीय भाषाओं में विकसित करना और उपलब्ध कराना।
- हिंदी भाषा और साहित्य के संवर्धन के लिए भारतीय भाषाओं एवं साहित्य के लिए अनुदित आधार सामग्री का विकास करना।
- भारतीय भाषाओं के मध्य संवाद एवं आदान-प्रदान बढाने के लिए सेतृ भाषा के रूप में संस्कृत को विकसित करने के उपाय करना।
- हिंदी में ज्ञान के विकास और मौलिक ज्ञान के सृजन के लिए भारतीय निर्वचन परंपरा का पुनरन्वेषण एवं तदनुरूप उपर्युक्त पद्धतियों का विकास।
- कौशंल संपन्न अनुवादकों, आश्.अनुवादकों एवं निर्वचन.कर्ताओं को तैयार करना तथा राष्ट्रीय स्तर पर इन्हें व्यावसायिक समूहों से संबद्ध करना।
- राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रवासित / डायस्पोरा समुदाय की भाषा, साहित्य एवं संस्कृति का भारतीय संस्कृति की सापेक्षता में अध्ययन। उपरिलिखित कार्य-योजना के कार्यान्वयन के लिए अनुवाद एवं निर्वचन विद्यापीठ में निम्नलिखित विभाग / केंद्र स्थापित किये गये हैं-

संचालित कार्यक्रम

- पी-एच.डी. अनुवाद अध्ययन
- राष्ट्रीय शिक्षा नीतिः 2020 के अंतर्गत रनातक (2021-24/25) प्रत्येक वर्षांत में निष्क्रमण सुविधा सहित
- अनुवाद में पी.जी. डिप्लोमा
- 3. प्रवासन एवं डायस्पोरा अध्ययन विभाग संचालित कार्यक्रम
 - पी-एच.डी. प्रवासन एवं डायस्पोरा अध्ययन
 - राष्ट्रीय शिक्षा नीतिः 2020 के अंतर्गत रनातक (2021-24/25) प्रत्येक वर्षांत में निष्क्रमण सुविधा सहित
 - भारतीय डायस्पोरा में पी.जी. डिप्लोमा
- 4. पराविद्या उच्च शोध एवं ज्ञान-सर्जन केंद्र विश्वविद्यालय के संकाय सदस्यों के सहकार से

भाषा, साहित्य, संस्कृति तथा अनुवाद एवं निर्वचन केंद्रित विषयों पर परानुशासनिक (Transdisciplinary) शोध एवं ज्ञान सर्जन के लिए स्थापित है। वे अभ्यर्थी जो अपने ज्ञानानुशासन की मर्यादाओं से आगे बढकर ज्ञान को उसकी संश्लिष्टता एवं एकान्विति में आविष्कृत करना चाहते हैं, इस केंद्र में रिक्त पी-एच.डी. सीटों पर प्रवेश के लिए आवेदन कर सकते हैं। प्रवेश हेत् अर्हताएँ अन्य पी-एच.डी. कार्यक्रमों के समान होंगी। इस केंद्र के अंतर्गत सीटें पराविद्या उच्च शोध एवं ज्ञान.सर्जन केंद्र के साथ सहयोजित शोध-निर्देशकों के मूल विभागों से स्थानांतरित की गयीं हैं।

सामाजिक विज्ञान विद्यापीठ



सामाजिक विज्ञान विद्यापीठ, महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय में स्थापित आठ (08) विद्यापीठों में से एक है। इस विद्यापीठ की स्थापना 2010 ई. में हुई। यह विद्यापीठ हिंदी भाषा के माध्यम से समाज विज्ञान के नवाचारी एवं रोजगारपरक कार्यक्रमों के शिक्षण-प्रशिक्षण एवं शोध के लिए प्रतिबद्ध है। समाज में जनमत निर्माण, मीडिया हस्तक्षेप, समाज कार्य एवं भारतीय समाज की मानवशास्त्रीय व्याख्या आदि अकादिमक एवं व्यावहारिक विमर्श इस विद्यापीठ की गतिविधियों का लक्ष्य है। विभिन्न कार्यक्रमों एवं गतिविधियों के माध्यम से यह विद्यापीठ 4. समाज से सीधे जुड़कर अपनी शोध एवं अकादिमक गतिविधियों को संचालित कर रहा है। इस विद्यापीठ में निम्नलिखित विभाग / केंद्र स्थापित किये गये हैं—

महात्मा गांधी पयूजी गुरुजी सामाजिक कार्य अध्ययन केंद्र

संचालित कार्यक्रम

- पी-एच.डी. समाज कार्य
- एम.एस.डब्ल्यू.
- बी.एस.डब्ल्यू. (2019-22)
- राष्ट्रीय शिक्षा नीतिः 2020 के अंतर्गत स्नातक (2021-24/25) प्रत्येक वर्षांत में निष्क्रमण सुविधा सहित
- पर्यावरण शिक्षा और जागरूकता में एडवांस्ड डिप्लोम
- हथकरघा प्रौद्योगिकी में एडवांस्ड डिप्लोमा

2. जनसंचार विभाग

- संचालित कार्यक्रम

 पी-एच.डी. जनसंचार
- एम.ए. जनसंचार
- बी.जे.एम.सी. (2019-22)
- राष्ट्रीय शिक्षा नीतिः 2020 के अंतर्गत स्नातक (2021-24/25) प्रत्येक वर्षांत में निष्क्रमण सुविधा सहित

3. मानवविज्ञान विभाग संचालित कार्यक्रम

- पी-एच.डी. मानवविज्ञान
- एम.ए. मानवविज्ञान
- राष्ट्रीय शिक्षा नीतिः 2020 के अंतर्गत स्नातक (2021-24/25) प्रत्येक वर्षांत में निष्क्रमण सुविधा सहित
- फोरेंसिक साइंस में डिप्लोमा (अंशकालिक)

4. राजनीति विज्ञान विभाग संचालित कार्यक्रम

- एम.ए. राजनीति विज्ञान
- स्नातक (ऑनर्स) (2019-22)
- राष्ट्रीय शिक्षा नीतिः 2020 के अंतर्गत स्नातक (2021-24/25) प्रत्येक वर्षांत में निष्क्रमण सुविधा सहित

5. समाजशास्त्र विभाग

संचालित कार्यक्रम

- पी-एच.डी. समाजशास्त्र
- एम.ए. समाजशास्त्र
- स्नातक (ऑनर्स) (2019-22)
- राष्ट्रीय शिक्षा नीतिः 2020 के अंतर्गत स्नातक (2021-24/25) प्रत्येक वर्षांत में निष्क्रमण सुविधा सहित

6. इतिहास विभाग संचालित कार्यक्रम

- एम.ए. इतिहास
- स्नातक (ऑनर्स) (2019-22)
- राष्ट्रीय शिक्षा नीतिः 2020 के अंतर्गत स्नातक (2021-24/25) प्रत्येक वर्षांत में निष्क्रमण सुविधा सहित

विधि विद्यापीठ



विधि विद्यापीठ, महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय में स्थापित आठ (08) विद्यापीठों में से एक है। विश्वविद्यालय राष्ट्रीय शिक्षा नीति: 2020 की अपेक्षाओं के अनुरूप मातृभाषा में पठन-पाठन की भावना को बलवती करते हुए प्रथमतः हिंदी तथा आगामी वर्षों से संविधान की आठवीं अनुसूची में उल्लिखित अन्य भारतीय भाषाओं में विधिक शिक्षा

प्रदान करने का एक अंतरराष्ट्रीय केंद्र स्थापित करने के लिए कृतसंकल्प है। भारतीय भाषाओं में विधिक शिक्षा के माध्यम से वकालत की कला में दक्ष अधिवक्ता तथा न्याय प्रदान करने में सक्षम न्यायाधीशों को तैयार करना विधि विद्यापीठ का अभिलक्ष्य है।

1. विधि विभाग

संचालित कार्यक्रम

- पी-एच.डी. विधि (प्रस्तावित)
- एलएल.एम. (द्विवर्षीय) कार्यक्रम (प्रस्तावित)
- बी.ए.एलएल.बी. (ऑनर्स) पंचवर्षीय कार्यक्रम

विधि विद्यापीठ के अंतर्गत संचालित कार्यक्रमों में प्रवेश, अर्हता, प्रवेश परीक्षा इत्यादि जानकारी के लिए अलग विवरणिका विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड की जा रही है।

शिक्षा विद्यापीठ



शिक्षा विद्यापीठ, महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय में स्थापित आठ (08) विद्यापीठों में से है। शिक्षा विद्यापीठ का प्रमुख विश्वविद्यालय के उद्देश्य के अनुरूप ऐसे शिक्षक तैयार करना है जो हिंदी भाषा एवं साहित्य सहित विभिन्न ज्ञानानुशासनों में हिंदी माध्यम से राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शिक्षण कर सकें। इस हेतू विद्यापीट द्वारा अध्यापक.शिक्षकों एवं शिक्षाशास्त्र के अध्येताओं के लिए श्रेष्ठ अकादिमक और वृत्तिक विकास के अवसरों को उपलब्ध कराया जाता है। इस विद्यापीठ में भावी शिक्षकों एवं अध्येताओं को समग्र विकास का ऐसा परिवेश उपलब्ध कराया जाता है जिससे वे स्योग्य, समर्थ, रचनाधर्मी, प्रतिबद्ध, समर्पित, समीक्षात्मक दृष्टि से युक्त, समाज एवं पर्यावरण के प्रति संवेदनशील तथा शिक्षा-कार्य के लिए अभिप्रेरित अध्यापक, शोधवेत्ता एवं शिक्षाविद बन सकें। इसके साथ ही शिक्षा से जुड़े विभिन्न क्षेत्रों में

शोधकार्य को प्रोत्साहित करना, शिक्षा के विभिन्न परिप्रेक्ष्यों का विकास करना एवं हिंदी माध्यम से शिक्षाशास्त्र से संबंधित पाठ्य सामग्री का विकास करना इस विद्यापीठ के उद्देश्यों में निहित है।

इस विद्यापीठ में निम्नलिखित विभाग / केंद्र स्थापित किये गये हैं—

1. शिक्षा विभाग

संचालित कार्यक्रम

- पी-एच.डी. शिक्षाशास्त्र
- एम.एड.
- बी.एड.
- राष्ट्रीय शिक्षा नीतिः 2020 के अंतर्गत स्नातक (2021-24/25) प्रत्येक वर्षांत में निष्क्रमण सुविधा सहित

2. मनोविज्ञान विभाग संचालित कार्यक्रम

- स्नातक (ऑनर्स) (2019-22)
- राष्ट्रीय शिक्षा नीतिः 2020 के अंतर्गत स्नातक (2021-24/25) प्रत्येक वर्षांत में निष्क्रमण सुविधा सहित
- परामर्श एवं निर्देशन में पी.जी. डिप्लोमा

प्रबंधन विद्यापीठ



प्रबंधन विद्यापीठ, महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय में स्थापित आठ (08) विद्यापीठों में से एक है। इस विद्यापीठ में आधुनिक प्रवृत्तियों और आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए हिंदी भाषा में अनुप्रयुक्त व्यावसायिक अध्ययन से जुड़े रोजगारपरक नवाचारी कार्यक्रम शामिल हैं, जिनका मुख्य उद्देश्य समाज एवं बाजार की माँग को ध्यान में रखते हुए संबंधित ज्ञान एवं कौशल को विकसित करना है।

इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए विद्यापीठ में निम्नलिखित विभाग स्थापित किया गया हैं-

1. प्रबंधन एवं वाणिज्य विभाग संचालित कार्यक्रम

- पी-एच.डी. प्रबंधन
- एम.बी.ए.
- राष्ट्रीय शिक्षा नीतिः 2020 के अंतर्गत रनातक (2021-24/25) प्रत्येक वर्षांत में निष्क्रमण स्विधा सहित

विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय केंद्र

क्षेत्रीय केंद्र. प्रयागराज

<mark>भूखण्ड संख्या–6/आई-3</mark> झूंसी योजना–3, प्रयागराज-211019, उत्तर प्रदेश फोन नं. 0532-2424442

प्रयागराज केंद्र की स्थापना वर्ष 2009 ई. में हुई। संचालित कार्यक्रम इस केंद्र पर स्थानीय आवश्यकताओं को समाविष्ट करते हुए विश्वविद्यालय के विभिन्न विद्यापीठों में संचालित कार्यक्रम चलाए जाते हैं। इनमें हिंदी के अनेक नवोन्मेषी कार्यक्रम हैं जो हिंदी के विद्यार्थियों / शोधार्थियों के लिए रोजगार की अनेक संभावनाएँ उदघाटित करते हैं। मुलतः हिंदी क्षेत्र के केंद्र में स्थित होने के कारण इस केंद्र को हिंदी संबंधी अध्ययन एवं शोध के अनुटे केंद्र के रूप में विकसित करना हैं, जो हिंदी के साथ शेष भारतीय भाषाओं, उनके साहित्यों और सांस्कृतिक वैविध्य को अपने अध्ययन का केंद्रीय लक्ष्य मानकर कार्य करने के लिए प्रतिश्रुत है।

- पी-एच.डी. हिंदी साहित्य
- पी-एच.डी. स्त्री अध्ययन
- एम.ए. हिंदी साहित्य
- एम.ए. हिंदी (अनुवाद)
- एम.ए. हिंदी (भाषाशिक्षण)
- एम.ए. स्त्री अध्ययन
- एम.एस.डब्ल्यू.
- बी.जे.एम.सी. (एक वर्षीय)
- अनुवाद में पी.जी. डिप्लोमा

क्षेत्रीय केंद्र, कोलकाता

इस केंद्र की स्थापना वर्ष 2009 ई. में की गई। इस केंद्र की स्थापना विश्वविद्यालय के विभिन्न विद्यापीठों के कार्यक्रमों को विशेषतः उत्तर-पूर्व के विद्यार्थियों को उपलब्ध कराने के लिए की गई। इस केंद्र का उद्देश्य पूर्वोत्तर भारत और सार्क देशों की जनजातीय, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय भाषाओं के साहित्य तथा संस्कृति के साथ हिंदी का संबंध प्रगाढ़ करना, उनसे साहित्यिक-सांस्कृतिक संबंध जोड़ना, पूर्वोत्तर भारत और सार्क देशों की भाषाओं के बीच समन्वय की संस्कृति को बढ़ावा देना है। हिंदी माध्यम से अध्ययन, शोध और नवाचार के अनेक उपक्रमों तथा अनुवाद के माध्यम से कोलकाता केंद्र को पूर्वोत्तर की समृद्ध

सांस्कृतिक विविधता का अनुशीलन केंद्र और सार्क देशों का अध्ययन केंद्र बनाना है। संचालित कार्यक्रम

- पी-एच.डी. हिंदी साहित्य
- पी-एच.डी. अनुवाद अध्ययन
- एम.ए. हिंदी साहित्य
- एम.ए. हिंदी (अनुवाद)
- एम.ए. हिंदी (तुलनात्मक भारतीय साहित्य)
- अनुवाद में पी.जी. डिप्लोमा

अंतरराष्ट्रीय विद्यार्थियों के लिए हिंदी कार्यक्रम

महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा के प्रमुख दायित्वों में से एक हिंदी को विश्वभाषा के रूप में प्रतिष्ठित करना भी है। अंतरराष्ट्रीय भाषा के रूप में हिंदी के विकास के लिए केंद्रीय और समन्वयक अभिकरण के रूप में कार्य करने के लिए भी विश्वविद्यालय निरंतर प्रयत्नशील है। विश्वविद्यालय का भाषा विद्यापीठ अंतरराष्ट्रीय विद्यार्थियों के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का संचालन, प्रबंधन, नियमन और शिक्षण करता है। अब तक इन कार्यक्रमों में यूरोप, अमेरिका और एशिया के विभिन्न देशों. जर्मनी, पोलैंड, बेल्जियम, क्रोएशिया, हंगरी, श्रीलंका, थाईलैंड, मॉरिशस, चीन, मलेशिया, जापान, सिंगापुर, नेपाल, कोरिया आदि के विद्यार्थी विभिन्न कार्यक्रमों में अध्ययन कर चुके हैं/कर रहे हैं। विश्वविद्यालय ने समय समय पर विभिन्न देशों के विश्वविद्यालयों के साथ शैक्षणिक अनुबंध किए हैं। ये देश हैं. श्रीलंका, हंगरी, मॉरिशस, जापान, बेल्जियम, इटली, जर्मनी, रूस, चीन आदि।

पी-एच.डी. के अतिरिक्त हिंदी के अन्य कार्यक्रम भी संचालित किये जाते हैं। इनकी जानकारी http://hindivishwa.org/contentdtl.aspx?category=16&cgid=60 लिंक से प्राप्त की जा सकती है।

संचालित कार्यक्रम

क्रम	कार्यक्रम का नाम	अवधि	लक्ष्य / अर्हता
1	पी-एच.डी.	6.12 सेमेस्टर	हिंदी अथवा सुसंगत विषय में 55% अंकों के साथ परास्नातक उपाधि अथवा समतुल्य ग्रेड

1. सभी कार्यक्रमों के लिए अनिवार्य शुल्क Compulsory fees for all courses	राशि (रुपये/डॉलर में) Amount in INR/USD
(i) प्रवेश शुल्क (Admission fee)	10 USD अथवा समतुल्य INR
(ii) परिचय-पत्र शुल्क (Identity card fee)	05 USD अथवा समतुल्य INR
(iii) पुस्तकालय शुल्क (Library fee)	10 USD अथवा समतुल्य INR (Per Semester)
(iv) इंटरनेट शुल्क (Internet fee)	250 INR (Per Month), 1500 INR (Per Semester)
(v) परीक्षा शुल्क (Exam fee)	10 USD अथवा समतुल्य INR (Per Semester)

2. शिक्षण शुल्क (Tuition Fee)	राशि (डॉलर में) Amount in USD
पी-एच.डी. (Ph.D.)	2000 USD अथवा समतुल्य INR (Per Year)
3. छात्रावास शुल्क (Hostel Fee)	राशि (रुपये में) Amount in INR
Room Rent (including AC - Gym with Water - Electricity Charges)	6000 INR (Per Month)
4. छात्रावास मेस शुल्क (Hostel Mess Fee)	राशि (रुपये में) Amount in INR
(i) नाश्ता (Breakfast)	100 INR
(ii) लंच/डिनर (Lunch/Dinner)	100 INR (Per Meal)
(iii) चाय (Tea)	15 INR
(iv) कॉफी (Coffee)	20 INR

सुविधाएँ : फ़ादर कामिल बुल्के अंतरराष्ट्रीय छात्रावास (वातानुकूलित) में आवासीय सुविधा, आई.सी.टी. सुविधायुक्त वातानुकूलित व्याख्यान कक्ष, कंप्यूटर प्रयोगशाला, भाषा प्रयोगशाला, इंटरनेट (वाई-फाई), व्यायामशाला एवं क्रीड़ा-स्थल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र।

प्रवेश: पी-एच.डी. में प्रवेश के इच्छुक अभ्यर्थियों को विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रवेश.प्रक्रिया में शामिल होना होगा, अन्य कार्यक्रमों के अंतरराष्ट्रीय विद्यार्थियों को निर्धारित पात्रता होने पर प्रवेश.परीक्षा से छूट दी गयी है। किंतु केंद्र द्वारा हिंदी दक्षता संबंधी परीक्षा ली जा सकती है। प्रवेश होने की स्थिति में उन्हें निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे—

- 1. छात्र वीजा (अन्य प्रकार के वीजा मान्य नहीं)
- 2. चिकित्सा प्रमाणपत्र (भारत सरकार द्वारा निर्धारित)।
- 3. अर्हता (तुल्यता) प्रमाण पत्र। प्रवेश के संबंध में केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा कोरोना महामारी संबंधी जारी दिशानिर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।

संपर्क: फ़ोनः +91.7152.251134, ई.मेल: isa.mgahv@gmail.com

	पी-एच.डी. कार्यक्रम								
3	अर्हता	(नॉन क्रीमी लेयर) / दिव्यांगों के लिए भारत सरकार / यू.जी.सी. के आरक्षण ि किया गया है।	ए 50%) अंकों के साथ संबंधित रेसुसंगत नेयमानुसार तथा रिक्त श्रेणी सीटों की र	ताति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग त विषय में परास्नातक परीक्षा उत्तीर्ण । सापेक्षता में पी-एच.डी. सीटों का विज्ञापन					
1	प्रवेश	ऑनलाइन लिखित प्रवेश परीक्षा ए	वं साक्षात्कार के आधार पर।						
		कार्यक्रम का नाम	सीटों की संख्या*	विषय से संबंधित/सुसंगत विषय					
+ ऐस्टिक) के लिए	तीणं क	 पी-एच.डी. हिंदी (भाषाविज्ञान) पी-एच.डी. हिंदी (भाषाशिक्षण) पी-एच.डी. हिंदी (भाषा प्रौद्योगिकी) 	कुल— 14 (अ.जा.— 02, अ.ज.जा.— 01, अ.पि. व.— 04, ई.डब्ल्यू एस.—01, अना.—06)	भाषा प्रौद्योगिकी / हिंदी (भाषा प्रौद्योगिकी) /भाषाविज्ञान / कंप्यूटेशनल भाषाविज्ञान अथवा सुसंगत विषय में एम.ए.।					
) 100+20 (16 अनिवार्य + 4 ऐस्छि = 120 क्रेडिट एम.ए. उत्तीर्ण के लिए	क्रेंडिट एम.फिल. उ [.] लिए।)	पी-एच.डी. इंफॉर्मेटिक्स एंड लैंग्वेज इंजीनियरिंग	कुल— 01 (अ.जा.— 01)	भाषाविज्ञान/भाषाप्रौद्योगिकी/कंप्यूटेशनल भाषाविज्ञान/अनुवाद प्रौद्योगिकी/सूचना प्रौद्योगिकी/संगणक विज्ञान/संगणक अभियांत्रिकी/भाषा अभियांत्रिकी/कृत्रिम बुद्धि/डेटासाइन्स/इलेक्ट्रॉनिक्स/इंस्ट्रूमेंटेश ान/इलेक्ट्रीकल्स					
(i) 100+20 (16 = 120 क्रेडिट ए	(ii) 100 क਼ੀਫੋਟ	पी-एच.डी. स्पैनिश (भाषा / भाषाविज्ञान / अनुवाद)	कुल— 04 (अ.ज.जा.— 01, अ.पि.व.— 01, ई. डब्ल्यू.एस.— 01, अना.— 01)	स्पैनिश में एम.ए. अथवा किसी अन्य भाषा या भाषाविज्ञान में एम.ए. एवं स्पैनिश में डिप्लोमा।					

पी-एच.डी. चीनी (भाषा / भाषाविज्ञान / अनुवाद)	कुल— 04 (अ.जा.— 01, अ.पि.व.— 01, अना.— 02)	चीनी में एम.ए. अथवा किसी अन्य भाषा या भाषाविज्ञान में एम.ए. एवं चीनी में डिप्लोमा।
पी-एच.डी. फ्रांसीसी (भाषा / भाषाविज्ञान / अनुवाद)	कुल— 03 (अ.पि.व.— 01, अना.— 02)	फ्रांसीसी में एम.ए. अथवा किसी अन्य भाषा या भाषाविज्ञान में एम.ए. एवं फ्रांसीसी में डिप्लोमा।
पी-एच.डी. हिंदी साहित्य	कुल — 32 (अ.जा.— 04, अ.ज.जा.— 01, अ.पि.व. — 10, ई.डब्ल्यू.एस.— 03, अना.— 14)	हिंदी अथवा सुसंगत विषय में एम.ए.।
पी-एच.डी. नाट्यकलाशास्त्र	कुल— 07 (अ.जा.— 01, अ.ज.जा.— 01, अ.पि.व. — 02, ई.डब्ल्यू.एस.— 01, अना.— 02)	नाट्यकलाशास्त्र अथवा सुसंगत विषय में एम.ए.।
पी-एच.डी. फिल्म अध्ययन	कुल— 08 (अ.जा.— 01, अ.ज.जा.— 01, अ.पि.व. — 02, अना.— 04)	फिल्म अध्ययन अथवा सुसंगत विषय में एम. ए.।
पी-एच.डी. संस्कृत	कुल— 02 (अ.जा.— 01, ई.डब्ल्यू एस.— 01)	संस्कृत अथवा सुसंगत विषय में एम.ए.।
पी-एच.डी. गांधी एवं शांति अध्ययन	कुल— 08 (अ.जा.— 01, अ.पि.व.— 02, ई.डब्ल्यू. एस.— 01, अना.— 04)	समाज विज्ञान के किसी भी विषय में अथवा सुसंगत विषय में एम.ए.।
पी-एच.डी. स्त्री अध्ययन	कुल — 12 (अ.जा.— 02, अ.ज.जा.— 01, अ.पि.व. —03, ई.डब्ल्यू.एस.— 02, अना.— 04)	समाज विज्ञान के किसी भी विषय में अथवा सुसंगत विषय में एम.ए.।
पी-एच.डी. बौद्ध अध्ययन	कुल— 01 (अना.— 01)	बौद्ध अध्ययन अथवा सुसंगत विषय में एम.ए. ।
पी-एच.डी. दलित एवं जनजातीय अध्ययन	कुल— 02 (अ.जा.— 01, अ.पि.व.—01)	दलित एवं जनजातीय अध्ययन/इतिहास /समाजशास्त्र/राजनीति विज्ञान /मानवविज्ञान/अर्थशास्त्र अथवा सुसंगत विषय में एम.ए.।
पी-एच.डी. दर्शनशास्त्र	कुल— 04 (अ.ज.जा.— 01, अ.पि.व.— 01,अना.— 02)	दर्शनशास्त्र अथवा सुसंगत विषय में एम.ए.।
पी-एच.डी. जनसंचार	कुल— 20 (अ.जा.— ०३, अ.ज.जा.— ०१, अ.पि.व.— ०६, ई.डब्ल्यू एस.— ०२, अना.— ०८)	जनसंचार अथवा सुसंगत विषय में एम.ए.।
पी-एच.डी. मानवविज्ञान	कुल— 02 (अ.जा.— 01, अ.ज.जा.— 01)	मानविज्ञान / मानवशास्त्र / समाजशास्त्र / फोरेंसिक साइंस अथवा सुसंगत विषय में एम.ए.।
पी-एच.डी. अनुवाद अध्ययन	कुल — 16 (अ.जा.— 02, अ.ज.जा.— 01, अ.पि.व. —04, ई.डब्ल्यू.एस.— 01, अना.—08)	अनुवाद अध्ययन / किसी भी भारतीय अथवा विदेशी भाषा—साहित्य / हिंदी (अनुवाद) / भाषाविज्ञान अथवा सुसंगत विषय में एम.ए.।
पी-एच.डी. प्रवासन एवं डायस्पोरा अध्ययन	कुल— 05 (अ.जा.— 01, अ.पि.व.— 02, ई.डब्ल्यू. एस.— 01, अना.— 01)	प्रवासन एवं डायस्पोरा अध्ययन/ समाजशास्त्र/इतिहास/मानवविज्ञान अथवा सुसंगत विषय में एम.ए.।
पी-एच.डी. शिक्षाशास्त्र	कुल — 46 (अ.जा.— 07, अ.ज.जा.— 03, अ.पि.व. — 13, ई.डब्ल्यू.एस.— 04, अना.— 19)	शिक्षाशास्त्र अथवा सुसंगत विषय में एम.ए.।
पी-एच.डी. प्रबंधन	कुल— 06 (अ.पि.व.— 01, अना.— 05)	एम.बी.ए. / एम.कॉम. / एम.ए. (अर्थशास्त्र)

* शोध निर्देशक की उपलब्धता के आधार पर पी-एच.डी. की सीटें बढ़ाई अथवा घटाई जा सकती हैं। इस संबंध में विश्वविद्यालय का निर्णय अंतिम होगा।

पराविद्या उच्च शोध एवं ज्ञान-सर्जन केंद्र— विश्वविद्यालय के संकाय सदस्यों के सहकार से भाषा, साहित्य, संस्कृति तथा अनुवाद एवं निर्वचन केंद्रित विषयों पर परानुशासनिक (Transdisciplinary) शोध एवं ज्ञान सर्जन के लिए स्थापित है। वे अभ्यर्थी जो अपने ज्ञानानुशासन की मर्यादाओं से आगे बढ़कर ज्ञान को उसकी संश्लिष्टता एवं एकान्वित में आविष्कृत करना चाहते हैं, इस केंद्र में रिक्त पी-एच.डी. सीटों पर प्रवेश के लिए आवेदन कर सकते हैं। प्रवेश हेतु अईताएँ अन्य पी-एच.डी. कार्यक्रमों के समान होंगी। इस केंद्र के अंतर्गत सीटें पराविद्या उच्च शोध एवं ज्ञान.सर्जन केंद्र के साथ सहयोजित शोध-निर्देशकों के मूल विभागों से स्थानांतरित की गयीं हैं।

शुल्क₋विवरण

पी-एच.डी.

शुल्क मद		पंजीयन शुल्क (एक बार)	शिक्षण शुल्क (वार्षिक)	सुरक्षा राशि (प्रतिदेय)	परीक्षा शुल्क	पुस्तकालय शुल्क (वार्षिक)	सांस्कृतिक कार्यक्रम/ खेलकूद शुल्क (वार्षिक)	परिचय पत्र शुल्क	इंटरनेट शुल्क (वार्षिक)	चिकित्सा शुल्क (वार्षिक)	विद्यार्थी कल्याण कोष (वार्षिक)	कुल
A	प्रथम वर्ष	2000	1000	350	(परीक्षा शुल्क राशि रुपये 2500/— शोध उपाधि हेतु	1000	75	25	1200	50	100	5800
पी-एच.डी.	द्वितीय वर्ष एवं आगे के वर्षो के लिए	_	1000	_	शोध प्रबंध जमा करते समय ली जाएगी।)	1000	75	_	1200	50	100	3425

विभागों / कार्यक्रमों संबंधी और अधिक जानकारी के लिए विश्वविद्यालय की वेबसाइट : http://hindivishwa.org/school.aspx पर लॉगइन करें |

विश्वविद्यालय महात्मा गांधी के नाम पर स्थापित है। अतः प्रवेशार्थियों से यह अपेक्षा होगी कि वे महात्मा गांधी की आचार-पद्धति और गांधीवादी मूल्यों के प्रति सम्मानशील रहें।

अकादिमक विशेषताएं

- 1. प्रत्येक विद्यार्थी को बिना अतिरिक्त शुल्क के कंप्यूटर में प्रशिक्षण की सुविधा।
- 2. 24×7 वाई-फाई युक्त संपूर्ण परिसर।
- 3. सी.बी.सी.एस. (CBCS) एवं अधिगम परिणाम आधारित पाठ्यचर्या संरचना (LOCF) के अनुसार विद्यार्थियों को उनकी रुचि के अनुसार वैकल्पिक पाठ्यचर्याएं चूनने की स्वतंत्रता।
- 4. सत्र 2021-22 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत स्नातक कार्यक्रम आरंभ किया जा रहा है, किंतु पूर्व में संचालित कार्यक्रम भी जारी रहेंगे।
- 5. अर्न व्हाइल लर्न (EWL) योजना के अंतर्गत विद्यार्थियों को अध्ययन कार्यक्रम जारी रखने में सहयोग।
- 6. कोविड-19 जनित परिस्थितियों में ऑनलाइन शिक्षण की सम्यक् व्यवस्था।



- 1. प्रत्येक कार्यक्रम हेतु पृथक् ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
- 2. पी-एच.डी. कार्यक्रमों में प्रवेश विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रक्रिया से होंगे। प्रक्रिया का विवरण संबंधित कार्यक्रम के साथ अंकित है और विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है। प्रवेश संबंधी प्रक्रिया एवं नियमों में कोई बदलाव होता है तो वह केवल विश्वविद्यालय की वेबसाइट: www.hindivishwa.org पर अपलोड किया जाएगा। प्रवेश के इच्छुक आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे वेबसाइट का नियमित अवलोकन करते रहें। सूचना प्राप्ति में देरी, सूचना न मिलने की जिम्मेदारी विश्वविद्यालय की नहीं होगी। प्रवेश हेतु किसी भी प्रकार की शिकायत / सुझाव हेतु विश्वविद्यालय के ऑनलाइन प्रवेश शिकायत निवारण (Admission Grievances) पोर्टल के माध्यम से आवेदन स्वीकार होगा। अन्य किसी माध्यम से आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
- 3. नवप्रवेशित शोधार्थियों के लिए विश्वविद्यालय के अधिनियम, परिनियम, अध्यादेशों, नियमों और विनियमों के साथ ही समय-समय पर जारी कार्यालयादेशों, अधिसूचनाओं, सूचनाओं तथा निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।
- 4. पी-एच.डी. कार्यक्रम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पी-एच.डी. उपाधि के लिए न्यूनतम मानक एवं प्रक्रिया विनियम, 2016 तथा विश्वविद्यालय की विद्या-परिषद् द्वारा स्वीकृत अद्यतन पी-एच.डी. अध्यादेश के अनुसार संचालित है। प्रवेश के इच्छुक आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे संलग्न पी-एच.डी. अध्यादेश का अवलोकन अवश्य करें।
- 5. पी-एच.डी. कार्यक्रमों में प्रवेश हेतु इच्छुक ऐसे आवेदक जिनकी उम्र 35 वर्ष से अधिक है, उन्हें पी-एच.डी. में प्रवेशोपरांत किसी भी प्रकार की अध्येतावृत्ति (Fellowship) देय नहीं होगी।
- 6. विश्वविद्यालय के शोधार्थी पी-एच.डी. कार्यक्रम के साथ सिर्फ एक सर्टिफिकेट अथवा डिप्लोमा अथवा पी.जी. डिप्लोमा में प्रवेश ले सकेंगे।
- 7. प्रवेशार्थी ने जिस कार्यक्रम के लिए आवेदन किया है, उससे भिन्न कार्यक्रम में प्रवेश पर विचार नहीं किया जाएगा।
- 8. पी-एच.डी. में प्रवेश की पात्रता के रूप में निर्धारित अर्हता परीक्षा में बैठने जा रहे अभ्यर्थी अपने निजी उत्तरदायित्व पर प्रवेश-परीक्षा में बैठ सकते हैं। चयनित होने की स्थिति में वे प्रवेश के लिए तभी अधिकृत होंगे, जब उन्होंने अर्हता परीक्षा में अंकों का न्यूनतम निर्धारित प्रतिशत प्राप्त किया होगा। उन्हें पंजीयन के लिए निश्चित समय-सीमा (प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा) से पूर्व अर्हता परीक्षा के अंतिम अंक-पत्र सहित सभी दस्तावेज जमा करने होंगे। ऐसा न करने की स्थिति में उनका प्रवेश/नामांकन स्वतः निरस्त माना जाएगा।
- 9. पी-एच.डी. कार्यक्रम में प्रवेश ऑनलाइन लिखित प्रवेश परीक्षा एवं साक्षात्कार के आधार पर होगा जिसमें 80% अधिभार लिखित परीक्षा एवं 20% साक्षात्कार का होगा। अंतिम परिणाम हेतु मेरिट लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार के अंकों को जोड़ कर तैयार की जाएगी। पी-एच.डी. की ऑनलाइन लिखित प्रवेश परीक्षा में 50% प्रश्न संबंधित विषय तथा 50% प्रश्न शोध अभिरुचि, तार्किक योग्यता एवं हिंदी भाषा अभिक्षमता के होंगे। लिखित परीक्षा के प्रश्न बहुविकल्पीय प्रकार के होंगे। दोनों प्रश्न-पत्रों में अलग-अलग न्यूनतम 50% अंक लाने

होंगे तथा दोनों प्रश्न-पत्रों को जोड़ कर न्यूनतम 50% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। आरक्षित वर्गों के लिए दोनों प्रश्न-पत्रों में अलग-अलग न्यूनतम 45% अंक लाने होंगे तथा दोनों प्रश्न-पत्रों को जोड़ कर न्यूनतम 45% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। प्रवेश परीक्षा में न्यूनतम अर्हता अंक प्राप्त अभ्यर्थियों में से प्रत्येक सीट के अनुपात में पांच गुना अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जाएगा। प्रवेश के नियमों के अंतर्गत अंकित बिंदू क्रमांक 17 के अनुसार निर्धारित भारांक दिये जाने की व्यवस्था होगी।

- 10. पी-एच.डी. प्रवेश प्रक्रिया में साक्षात्कार हेतु चयनित अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के समय प्रस्तावित शोध विषय से संबंधित अधिकतम पांच पी.पी.टी. स्लाइड की प्रस्तुति अनिवार्य रूप से देनी होगी।
- 11. शोध निर्देशक की उपलब्धता के आधार पर पी-एच.डी. की सीटें बढ़ाई अथवा घटाई जा सकती हैं। इस संबंध में विश्वविद्यालय का निर्णय अंतिम होगा।
- 12. प्रवेश प्राप्त प्रत्येक शोधार्थी को मूल प्रवजन (माइग्रेशन) प्रमाण-पत्र / स्थानांतरण प्रमाण-पत्र विश्वविद्यालय में 06 माह के भीतर जमा करना अनिवार्य होगा अन्यथा उनका प्रवेश स्वतः निरस्त हो जाएगा।
- 13. प्रवेश हेतु ऑनलाइन आवेदन करते समय आवश्यक दस्तावेज सॉफ्टकॉपी के रूप में उपलब्ध कराएँ और दिए गए अन्य निर्देशों का पालन करें। ऑनलाइन आवेदन के लिए https://mgahvadmission.samarth.edu.in के माध्यम से आवेदन करें।
- 14. चयनित अभ्यर्थियों को विश्वविद्यालय में प्रवेश लेते समय अपने सभी शैक्षणिक प्रमाण-पत्रों / दस्तावेजों की एक-एक प्रति प्रवेश प्रकोष्ट में जमा करनी होगी तथा मूल प्रति सत्यापन के लिए उपलब्ध करानी होगी।
- 15. शुल्क में किसी प्रकार का बदलाव सभी शोधार्थियों पर समान रूप से लागू होगा।
- 16. अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / दिव्यांग श्रेणी के शोधार्थियों को नियमानुसार शिक्षण शुल्क से छूट दी जाएगी।
- 17. राजभाषा हिंदी की दृष्टि से 'ग' क्षेत्रों के ओड़िशा, बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश एवं केरल में स्थित विश्वविद्यालयों के ऐसे उपाधिधारी जो इन क्षेत्रों के निवासी है और उनकी मातृभाषा हिंदी नहीं है उन अभ्यर्थियों को पांच प्रतिशत का भारांक दिया जाएगा।
- 18. अभ्यर्थी द्वारा आवेदन-प्रपत्र में दी गई सूचना गलत पायी जाने पर उसका प्रवेश स्वतः निरस्त हो जाएगा।
- 19. कोई भी शोधवृत्ति वित्तीय अनुदान प्रदान करने वाले अभिकरण की शर्तों और प्रक्रिया के अधीन देय होगी। कार्यक्रम अधूरा छोड़कर जाने वाले अभ्यर्थियों को प्राप्त छात्रवृत्ति / शोधवृत्ति की राशि नियमानुसार विश्वविद्यालय को लौटानी होगी।
- 20. राजीव गांधी राष्ट्रीय फेलोशिप/मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय फेलोशिप/जेआरएफ/एसआरएफ प्राप्त शोधार्थियों को यू.जी.सी. अथवा संबंधित बैंक से फेलोशिप की राशि प्राप्ति में विलंब होने अथवा अन्य किसी भी परिस्थिति में नॉननेट सामान्य फेलोशिप विश्वविद्यालय द्वारा नहीं दी जाएगी।
- 21. **आरक्षण** : भारत सरकार एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नियमानुसार देय होगा। सीटें रिक्त होने पर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के स्थान नियमानुसार अंतरपरिवर्तनीय होंगे। अनुसूचित जाति को 15%, अनुसूचित जनजाति को 7.5%, अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन क्रीमी लेयर) को 27% एवं आर्थिक कमजोर वर्ग को 10% आरक्षण देय है, जबिक दिव्यांग श्रेणी के अभ्यर्थियों को 5% क्षैतिज आरक्षण (Horizontal Reservation) देय है।
- 22. शोध प्रबंध जमा करने का माध्यम हिंदी भाषा है। अतः सभी प्रवेशार्थियों से हिंदी भाषा में दक्षता अपेक्षित है।
- 23. **शुल्क वापसी** : पी-एच.डी. कार्यक्रम से नामांकन रद्द होने / रद्द कराने की स्थिति में शुल्क की वापसी नियमानुसार ही हो सकेगी।
- 24. प्रवेश के संबंध में किसी मामले में विवाद की स्थिति में न्यायाधिकार क्षेत्र वर्धा / नागपुर होगा।





रैगिंग निषेध संबंधी विवरण

विश्वविद्यालय परिसर (छात्रावास सहित) में रैगिंग पूर्णतः प्रतिबंधित है। उल्लंघन करने वाले शोधार्थियों /विद्यार्थियों पर नियामानुसार अनुशासनात्मक / कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में प्रवेश के समय स्वहस्ताक्षरित शपथपत्र देना अनिवार्य है। रैगिंग निषेध संबंधित जानकारी विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर http://www.mgahv.in/pdf/gen/gen2021/gazzet_aug_2021.pdf अपलोड की गई है। अभ्यर्थी सावधानीपूर्वक इसका अवलोकन करें तथा संबंधित प्रावधानों से अवगत हों।

उपलब्ध सुविधाएँ

विश्वविद्यालय अपने विद्यार्थियों को निम्नलिखित सुविधाएँ प्रदान करता है-

1. <mark>छात्रावास</mark> : नियमित पी-एच.डी. कार्यक्रम में प्रवेशित शोधार्थियों को छात्रावास की सुविधा उपलब्धता तथा वरीयता के आधार पर प्रदान की जाती है। छात्रावास हेतु आवेदन पत्र प्रवेश के उपरांत कुलानुशासक कार्यालय अथवा संबंधित छात्रावास अधीक्षक द्वारा दिया जाएगा। छात्रावास आवंटन के पश्चात् विद्यार्थियों को दो माह का अग्रिम मेस शुल्क सहायक कुलसचिव, परिसर विकास कार्यालय से चालान प्राप्त कर विश्वविद्यालय के खाता सं: 972110210000044, IFSC Code: BKID0009721 में जमा करना होगा। समस्त रहवासियों को मेस में खाना अनिवार्य है। छात्रावास सुविधा के संबंध में केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा कोरोना महामारी संबंधी जारी दिशा-निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।











2. लीला (LILA) एवं कंप्यूटर प्रयोगशाला

'लीला' (Laboratory in Informatics for the Liberal Arts) महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के अंतर्गत स्थापित सूचना-प्रौद्योगिकी अनुषंग है। इक्कीसवीं सदी की विश्व व्यवस्था में सामान्यतः और शिक्षा के क्षेत्र में विशेषतः सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी की केंद्रीय उपस्थिति को ध्यान में रखते हुए विश्वविद्यालय ने अभिकलन (Computing) से प्रगाढ़ व्यावहारिक परिचय को पाठ्यचर्या के रूप में अपनी पाठ्यसंहिता के अंतर्गत रखा है। विश्वविद्यालय के सभी कार्यक्रमों में अभिकलन-आधारित पाठ्यचर्याओं का निर्धारण एवं शिक्षण, अभिकलनमूलक स्वतंत्र कार्यक्रमों को चलाना, 'लीला' की जिम्मेदारियाँ हैं। विद्यार्थियों के लिए शिक्षा के आधुनिकतम संसाधनों को उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विश्वविद्यालय में एक कंप्यूटर प्रयोगशाला स्थापित की गई है। यहाँ न सिर्फ इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध है, बल्कि कंप्यूटर के शिक्षण के माध्यम से विद्यार्थियों को शोध और ज्ञान की अधुनातन प्रविधियों से भी अवगत कराया जाता है।



3. केंद्रीय पुस्तकालय

महापंडित राहुल सांकृत्यायन केंद्रीय पुस्तकालय में विश्वविद्यालय के कार्यक्रमों से संबंधित एक लाख से अधिक पाठ्य-पुस्तकें एवं संदर्भ ग्रंथ उपलब्ध हैं। विद्यार्थियों एवं शोधार्थियों के उपयोग हेतु महत्त्वपूर्ण शोध-पत्रिकाएँ, ई-संसाधन एवं ऑनलाइन जर्नल भी उपलब्ध हैं।



4. क्रीड़ा और खेलकूद विश्वविद्यालय का विद्यार्थी शारीरिक गतिविधियों तथा संगठित खेलकूद और खेल कार्यक्रमों के महत्त्व से अवगत होता है जिन्हें उसके शैक्षणिक लक्ष्यों के साथ जोड़ना आवश्यक है। विश्वविद्यालय ने मेजर ध्यानचंद की स्मृति में एक स्थायी क्रीड़ा स्थल विकसित किया है।



5. विश्वविद्यालय स्वास्थ्य केंद्र

विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को आधारभूत स्वास्थ्य सुविधाएँ प्रदान करने के लिए स्वास्थ्य केंद्र संचालित है।



6. नियोजन प्रकोष्ट

विद्यार्थियों को रोजगार के अवसर से परिचित कराने एवं इसके लिए आवश्यक मार्गदर्शन उपलब्ध कराने की दृष्टि से विश्वविद्यालय में व्यवसाय एवं नियोजन प्रकोष्ठ स्थापित किया गया है। यह प्रकोष्ठ समय. समय पर रोजगार एवं नियोजन के संदर्भ में मार्गदर्शन एवं परामर्श से संबंधित कार्यशालाओं का आयोजन करता है। इस प्रकोष्ठ का यह भी प्रयास रहता है कि विद्यार्थियों को उभरते स्वरोजगार के अवसरों से भी परिचित कराया जाए।

	अकादिमक	कैलेंडर 2021-22
(क)	अकादिमक कैलेंडर	
01	शैक्षणिक सत्र (तृतीय एवं पंचम सेमेस्टर)	06 सितंबर, 2021 से
02	शैक्षणिक सत्र (प्रथम सेमेस्टर)	16 सितंबर, 2021 से
03	टर्मपेपर / सेमिनार जमा करने की अंतिम तिथि	20 दिसंबर, 2021
04	परीक्षा तैयारी अवकाश	21 से 26 दिसंबर, 2021
05	सत्रांत परीक्षा (मानसून.सत्र)	27 दिसंबर, 2021 से 20 जनवरी, 2022
06	शैक्षणिक सत्र (द्वितीय, चतुर्थ एवं षष्ठ सेमेस्टर)	27 जनवरी 2022 से
07	टर्मपेपर/सेमिनार जमा करने की अंतिम तिथि	21 मई, 2022
08	परीक्षा तैयारी अवकाश	21 से 25 मई, 2022
09	सत्रांत परीक्षा (शीत.सत्र)	29 मई, 2022 से 28 जून, 2022
10	ग्रीष्मावकाश	29 जून, 2022 से 28 जुलाई, 2022
11	अध्ययन मंडल की बैठक	
12	स्कूल बोर्ड की बैठक	प्रत्येक सेमेस्टर में कम से कम एक (01) बैठक एवं पूरे अकादमिक सत्र में दो (02) बैठकों का आयोजन किया जाएगा।
13	विद्या.परिषद् की बैठक	

(ख)	अन्य आयोजन / कार्यक्रम (सत्र 2021.22)	
1	कबीर जयंती	5 जून, 2021
2	अंतरराष्ट्रीय योग दिवस	21 जून, 2021
3	तुलसीदास जयंती	15 अगस्त, 2021
4	स्वतंत्रता दिवस	15 अगस्त, 2021
5	शिक्षक दिवस	5 सितंबर, 2021
6	हिंदी दिवस	14 सितंबर, 2021
7	महात्मा गांधी जयंती	2 अक्टूबर, 2021
8	राष्ट्रीय एकता दिवस	31 अक्टूबर, 2021
9	शिक्षा दिवस	11 नवंबर, 2021
10	स्थापना दिवस	08 जनवरी, 2022
11	युवा दिवस	12 जनवरी, 2022
12	खेल / सांस्कृतिक सप्ताह (एक सप्ताह)	21 से 27 दिसंबर, 2021
13	गणतंत्र दिवस	26 जनवरी, 2022
14	मातृभाषा दिवस	21 फरवरी, 2022

प्रवेश कार्यक्रम 2021-22



(ग)	प्रवेश परीक्षा कार्यक्रम	
01	पी-एच.डी. कार्यक्रमों हेतु शुल्क सिहत ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि	25 अगस्त (बुधवार) से 24 सितंबर (शुक्रवार) 2021
02	पी-एच.डी. की ऑनलाइन प्रवेश परीक्षा	10,11 एवं 12 अक्टूबर, 2021
03	पी-एच.डी की ऑनलाइन प्रवेश परीक्षा परिणाम घोषित करने की तिथि	22 अक्टूबर, 2021
04	पी-एच.डी. साक्षात्कार की तिथि	15—20 नवंबर, 2021
05	पी-एच.डी. हेतु प्रवेश के लिए चयनित अभ्यर्थियों की सूची जारी करने की तिथि	26 नवंबर, 2021

परीक्षा तिथि और समय में परिवर्तन का अधिकार विश्वविद्यालय के पास सुरक्षित रहेगा।

आवेदन-पत्र का शुल्कः (पी-एच.डी कार्यक्रम हेतु): अना./अपिव.(नॉन क्रीमी लेयर)/ई.डब्ल्यू.एस.: रु. 500/ तथा अजा / अजजा / दिव्यांग : रु. 300 अंतरराष्ट्रीय विद्यार्थियों के लिए : USD 25 (ऑनलाइन भुगतान)।

पत्राचार पता :

सहायक कुलसचिव (प्रवेश प्रकोष्ठ) महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय

पोस्ट-हिंदी विश्वविद्यालय, गांधी हिल्स, वर्धा.442001 (महाराष्ट्र) भारत

टोल फ्री नंबर: 1800 2332 141, फोन नं.: 07152.251661

ई.मेलः admissionmgahv@gmail.com, वेबसाइट : www.hindivishwa.org

पी-एच.डी. अध्यादेश



Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya

Ordinance No. 45/2020

Modified as per UGC (Minimum standard and procedure for award of M.Phil./Ph.D. Degrees) Regulation, 2016 (Approved by Academic Council in its 32nd Meeting held on 27.04.2020)

Doctor of Philosophy (Ph.D.)

DEFINITIONS:

Subject to the provisions of The Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya Act, 1996 (No. 3 of 1997) (hereinafter referred to as MGAHV Act of 1996), and the Statutes and Ordinances passed there under:

- 'Academic Council' means the Academic Council of Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya (hereinafter referred to as the University), as explained under Section-22 of the MGAHV Act of 1996 and Clause-15 of THE STATUTE attached to the Act, and shall have the same meaning as 'ACADEMIC COUNCIL'.
- 2. 'Board of Studies' (BoS) means Board of Studies of the concerned Department/Centre, as explained under Clause-17 of THE STATUTE attached to MGAHV Act of 1996.
- 3. 'Candidate' means a person who applies for the Ph.D. Programme as per this Ordinance.
- 4. 'Co-Supervisor' means the second supervisor as mentioned in para-9 of this Ordinance.
- 5. 'Examiner' means an expert for evaluation of the thesis nominated by the Vice Chancellor from the panel of examiners.
- 6. 'Open Viva-voce' means Viva-voce of the candidate to be conducted after submission and satisfactory report of the thesis and before the award of the Ph.D. degree, and which may be witnessed by anyone in the University.
- 7. 'Panel of Examiners' means a set of six examiners proposed by the supervisor for evaluation of the thesis.
- 8. 'Ph.D.' means Doctor of Philosophy.
- 9. 'Pre-Ph.D. Programme' means a course-work to be pursued prior to the pre-registration seminar by the candidates who do not hold an M.Phil. Degree.
- 10. 'Pre-registration Seminar' includes a written submission and presentation on the research proposal, to be given by the candidate before registration of the topic.
- 11. 'Pre-submission Seminar' includes a written submission and presentation based on findings of the research work to be given by the research scholar before submission of the thesis.
- 12. 'Departmental Research Monitoring Committee' (DRMC) means 'Departmental Research Monitoring Committee as mentioned in **Para-14.2** of this Ordinance.
- 13. 'Research Scholar' means the candidate who has been granted admission to the Ph.D. Programme and thereafter registered for the same.
- 14. 'Review of Literature' means study, review and analysis of the literature or material related to the field of research of the research scholar.

- 15. 'School Board' (SB) means the School Board of each School of the University.
- 16. 'Supervisor' means the principal supervisor who monitors and guides the candidate.

PROVISIONS:

1. Ph.D. PROGRAMME:

- 1.1. The Doctoral (Ph.D.) Programme shall be a regular and residential programme.
- 1.2. Notwithstanding anything contained in this Ordinance, the University shall not conduct Ph.D. Programmes through distance education mode.
- 1.3. Ph.D. programme is for 100 credits (excluding the Course Work). Distribution of credits is as below:

a. Thesis Writingb. Viva-Vocecredits20 credits

c. Research Associate ship \

Teaching Associate ship \(\) : 10 credits (Additional)

(Awarded by supervisor and HoD jointly; obtaining 50% credit score shall be compulsory)

2. ELIGIBILITY:

2.1. Master's degree or a professional degree declared equivalent to the Master's degree (in concerned subjects) by the corresponding statutory regulatory body, with at least 55% marks in aggregate or its equivalent grade 'B' in the UGC 7-point scale (or an equivalent grade in a point scale wherever grading system is followed) or an equivalent degree from a foreign educational Institution accredited by an Assessment and Accreditation Agency which is approved, recognized or authorized by an authority, established or incorporated under a law in its home country or any other statutory authority in that country for the purpose of assessing, accrediting or assuring quality and standards of educational institutions.

A relaxation of 5% of marks, from 55% to 50%, or an equivalent relaxation of grade, may be allowed for those belonging to SC/ST/OBC (non-creamy layer)/Differently-abled (Divyang) and other categories of candidates as per the decision of the University Grants Commission (UGC) from time to time, or for those who had obtained their Master's degree prior to 19th September, 1991. The eligibility marks of 55% (or an equivalent grade in a point scale wherever grading system is followed) and the relaxation of 5% to the categories mentioned above are permissible based on merit of entrance exam without including the grace mark procedures.

- 2.2. A person pursuing M.Phil. Course in this University whose dissertation has been submitted and the result or viva-voce is pending may be admitted to the Ph.D. Programme of this University.
- 2.3. Candidates possessing a Degree considered equivalent to M.Phil. Degree of an Indian Institution, from a Foreign Educational Institution accredited by an Assessment and Accreditation Agency which is approved, recognized or authorized by an authority, established or incorporated under a law in its home country or any other statutory authority in that country for the purpose of assessing, accrediting or assuring quality and standards of educational institutions, shall be eligible for admission to Ph.D. Programme.
- 2.4. Upper age limit shall be 35 years for admission to Ph.D. Programme for those candidates who get fellowship. Relaxation in this upper age limit may be granted to the reserved category candidates as per rules of the Govt. of India/UGC.

3. ADMISSION PROCESS:

- 3.1. Candidates for Ph.D. Programme shall be admitted through an Entrance Test.
- 3.2. Predetermined and Manageable number of seats for Ph.D. shall be decided on an annual basis (in accordance with clause no. 6.2) through academic bodies depending on the number of available Research Supervisors and other academic and physical facilities available, keeping in mind the norms regarding the

candidate-teacher ratio, laboratory. Library and such other facilities; the seats advertised shall be in accordance with specialization of the supervisors and/or the thrust area of the Department/Centre concerned.

3.3. Number of seats (with reservation break-up) shall be notified well in advance at the University website and through advertisement in maximum number of newspapers, out of which minimum one newspaper must be Hindi national daily and one Marathi (the regional language where the university is situated). The advertisements shall also include the number of seats for admission, subject/discipline-wise distribution with specialization/thrust area for available seats, criteria and procedure for admission, examination centre(s) where entrance test(s) shall be conducted and all other relevant information for the benefit of the candidates.

4. ENTRANCE TEST:

Candidates shall be admitted in Ph.D. Programme by a three stage admission process.

4.1 Stage- I: Screening

(a) Screening of applications shall be done by Departmental Admission Committee as given below:

i. Head of the Department/Director of the Centre : Chairperson

ii. All Faculty members of the Department : Member

iii. One SC/ST nominee (if not represented) nominated by the Vice-Chancellor : Member

(b) The Screening Committee shall examine minimum qualifications of the candidates as prescribed under clause-(2).

4.2 Stage- II: Written Test

The total marks for written test shall be 100. Qualifying marks shall be 50% in the written test (45% for SC/ST/OBC-NCL/PWD). The syllabus of the Entrance Test shall consist of 50% of research methodology and 50% shall be subject specific. The pattern of written test may be as adopted by the University for Semester Examinations or approved by Academic Council of the University.

The Entrance Test shall be conducted at the centre(s) notified in advance. Change of centres, if any, shall also be notified well in advance.

4.3 Stage- III: Interview

(a) Interview of 25 Marks shall be conducted by the Central Admission Committee. The constitution of committee shall be as given below:

: Member

i. Chairperson (Nominated by the Vice Chancellor)

ii. Head of the Department/Director of the Centre

iii. One senior faculty member who is a research supervisor nominated by

the Vice Chancellor : Member iv. One SC/ST nominee nominated by the Vice-Chancellor : Observer

4.4 Preparation of Merit List for Admission

- a) The Merit List for Admission to Ph.D. Programme shall be prepared based on marks obtained by the candidate in written test and interview by the Examination Department.
- b) Admission of the candidate shall be provisional till the date of registration.
- c) The date of joining shall be the date of admission.

5. MAINTENANCE OF THE LIST OF RESEARCH SCHOLARS:

The University shall maintain the list of all the Ph.D. registered students on its website on year-wise basis. The list shall include the name of the registered candidate, topic of her/his research, name of her/his supervisor/co-supervisor, date of enrolment/registration and year (with date) of award.

6. RESERVATION:

- 6.1 The guidelines of the University Grants Commission (UGC) and the directions of the Ministry of Human Resource Development (MHRD) issued from time to time with regard to reservation for SC / ST / OBC (NCL) / PWD ('Divyang') in Ph.D. admissions shall be applicable automatically. Presently-
 - (a) The reservation applicable for SC/ST/OBC (NCL)/EWS is fifteen percent (15%), seven point five percent (7.5%), twenty seven percent (27%) and ten percent (10%) respectively.
 - (b) The reservation for persons with benchmark disabilities shall be (5%) five percent. The seats for PWD shall be allotted from their respective categories. Interchangeability of seats shall be permitted within PWD category only.
- 6.2 Percentage of reservation shall be applied on total number of seats in the Department/Centre or Faculty and vacant seats shall be advertised accordingly.
- 6.3 Interchangeability of seats among SCs and STs shall be applicable as per rules.
- 6.4 In case no eligible candidate from the reserved categories is available, the vacant seats in the reserved quota shall not be filled by any non SC/ST & OBC candidates.

7. DURATION:

- 7.1. Ph.D. Programme shall be for a minimum duration of Three (3) years, including course work, and a maximum of Six (6) years.
- 7.2. The women candidates and Persons with Disability (more than 40% disability) may be allowed a relaxation of Two (2) years in the maximum duration for Ph.D.

8. COURSE WORK: Credit requirements, number, duration, syllabus, minimum standards for completion, etc.:

- 8.1 The total credits assigned to the Ph.D. course work shall be 16 credits. However any Department/Centre of the university may opt a course of four additional credits.
- 8.2 Duration of course work shall be one semester.
- 8.3 The course work shall be treated as prerequisite for Ph.D. Programme. A minimum of four credits shall be assigned to one or more courses on Research Methodology which could cover areas such as quantitative methods, computer applications, research ethics and review of published research in the relevant field, training, field work, etc. Other courses shall be advanced level courses preparing the students for Ph.D. degree, credit distribution of Course Work shall be as follows:

i. Fundamentals of Research Methodology
 ii. Research and Publication Ethics (RPE)
 iii. Discipline Specific Research Methodology
 iv. Computer Applications
 v. Subject Specific Paper
 04 credits
 v. Total: 16 credits

Interdisciplinary Course (As per clause-8.1) : 04 Credits

8.4 All courses prescribed for Ph.D. course work shall be in conformity with the credit hour instructional requirement and shall specify content, instructional and assessment methods.

- 8.5 All candidates admitted to the Ph.D. Programmes, except those having successfully completed M.Phil. Course, shall be required to complete the Ph.D. course work prescribed by the Department/Centre for the registration.
- 8.6 The aforesaid Ph.D. course work shall be required to be completed within initial two semesters.
- 8.7 A Ph.D. candidate has to obtain a minimum of 55% of marks or its equivalent grades in the course work in order to be eligible to continue in the programme and submit the thesis

9. RESEARCH SUPERVISOR:

- 9.1 The Board of Studies of the Department/Centre shall have power to recognize a regular teacher of the university as Research Supervisor:
 - a) Any regular Professor of the University with at least 05 (Five) research publications in refereed/UGC approved journals in concerned disciplines and any regular Associate/Assistant Professor of the university with Ph.D. degree and at least (2) two research publications in refereed/UGC approved journals in concerned discipline may be recognized as Research Supervisor.
 - b) Provided that in areas/disciplines where there is no or only a limited number of refereed journals, the institution may relax the above condition for recognition of a person as Research Supervisor with reasons recorded in writing.
 - c) Only a full time regular teacher of the concerned Department/Centre of the University can act as a supervisor. The external supervisors are not allowed. However, Co-Supervisor can be allowed in inter-disciplinary areas from other departments of the University or from other related institutions in consultation with the Department Research Monitoring Committee. (DRMC)
- 9.2 The allocation of Research Supervisor for a selected candidate shall be made by the BoS concerned.
- 9.3 In case of topics which are of inter-disciplinary nature where the BoS concerned is of the opinion that the expertise in the Department has to be supplemented from outside. The BoS may appoint a Research Supervisor from the Department itself, who shall be known as the Research Supervisor and a Co-Supervisor from outside the Department/School/ University on such terms and conditions as may be specified and agreed upon by the consenting Institution/University.

10. NUMBER OF Ph.D. SEATS UNDER A SUPERVISOR:

A Research Supervisor/Co-Supervisor who is a Professor, at any given point of time, can guide up to eight (8) Ph.D. Research Scholars. An Associate Professor as Research Supervisor can guide up to a maximum of six (6) Ph.D. Research Scholars and an Assistant Professor as Research Supervisor can guide up to a maximum of four (4) Ph.D. Research Scholars.

11. VACANCY OF SEATS:

After submission of the thesis by the research scholar or de-registration of research scholar or cancelation of the Ph.D., the concerned seat shall be treated as vacant.

12. TRANSFER OF A CANDIDATE AND DATA:

In case of relocation of a Ph.D. woman candidate due to marriage or otherwise, the research data shall be allowed to be transferred to the University/Institution to which the candidate intends to relocate provided all the other conditions in these regulations are followed in letter and spirit and the research work does not pertain to the project secured by the parent institution/ supervisor from any funding agency. The candidate has to however give due credit to the parent supervisor and the institution for the part of research already done.

13. CHANGE OF SUPERVISOR:

The BoS shall have the power to change Supervisor:

- a) Under extra-ordinary circumstances the BoS may change the supervisor of the research scholar on the recommendation of the Departmental Research Monitoring Committee (DRMC).
- b) However, change of Supervisor shall not be permitted after the completion of one year from the date of registration.
- c) If the performance of a research scholar is not good in view of the supervisor, she/he may recommended to the BoS through HoD/DoC for change of supervisor of the Research Scholar within one year of registration with reasons in writing.

14. RESEARCH COMMITTEES:

14.1 THE BOARD OF STUDIES (BoS):

There shall be a Board of Studies for every Department/Centre of the University as given below:

i. Head of the Department/Director of the Centre concerned : Chairperson

ii. All Professors of the Department/Centre : Member

iii. One Associate Professor from the Department/Centre by rotation according to seniority : Member

iv. One Assistant Professor from the Department/Centre by rotation according to seniority : Member

v. One Alumni from the Department/Centre from the panel consisting of minimum

two members submitted by the HoD/DoC and nominated by the Vice-Chancellor : Member

vi. Two external subject experts from the panel consisting of five members submitted

by the HoD/DoC and nominated by the Vice-Chancellor : Member

14.1.1 FUNCTIONS OF THE BOARD OF STUDIES (BoS):

- a) To recognize and to appoint Research Supervisors.
- b) To approve Research Topics.
- c) To change/modify the Research Topic.
- d) To take necessary measures for development of research in the Department/Centre.
- e) Meeting of the BoS shall be held twice in an academic year in the months of **August and February**.

14.2 THE DEPARTMENTAL RESEARCH MONITORING COMMITTEE (DRMC):

There shall be a Departmental Research Monitoring Committee to monitor the research work of the Research Scholar as given bellow:

i. The HoD : Chairperson

ii. All Research Supervisors in the Department concerned : Members

14.2.1 FUNCTIONS OF DRMC

- a. DRMC meeting shall be held once in three months. There shall be no gap of more than five months between two consecutive meetings.
- b. Prior information about the meeting of DRMC shall be given to the concerned Dean of the School in advance.
- c. A research scholar shall appear before the Departmental Research Monitoring Committee once in three months to make a presentation of the progress of her/his research work for evaluation and further guidance.

25

^{*} The tenure of the members (iii to vi) shall be for a period two years. Three members shall form a quorum out of which one external member shall be compulsory.

d. In case of the progress of the research scholar is unsatisfactory, the Departmental Research Monitoring Committee shall record the reasons and suggest corrective measures. If the research scholar fails to implement these corrective measures within six (06) months, the DRMC may recommend to the Board of Studies for cancellation of the registration of the research scholar with specific reasons.

14.3 THE SCHOOL BOARD (SB):

Every school shall have a School Board as given below:

i. Dean of the School : Chairperson

ii. All HoD/DoC's of the Schooliii. All Professors of the Schooliii. Member

iv. One Associate Professor from each of the Departments/

Centres by rotation according to seniority : Member

v. One Assistant Professor from each of the Departments/

Centres by rotation according to seniority : Member

vi. One Alumni from the same school from the panel consisting of minimum two members submitted by the Dean of the School and

nominated by the Vice-Chancellor : Member

vii. Two external subject experts from the panel consisting of five members submitted by the Dean of the School and nominated by the Vice-Chancellor: Member (* The tenure of the members (iv to vii) shall be for a period of two years. Three members shall

14.3.1 FUNCTIONS OF SCHOOL BOARD:

With overall administration of the school, functions of the School Board shall be:

form a quorum out of which one external member shall be compulsory.)

- a. To monitor all research and academic activities of the school.
- b. To review the decisions of BoS and DRMC.
- c. To frame the policies for development of research in the school.
- d. Meeting of SB shall be held twice in an academic year in the months of **September and March.**

15. RESIDENCY PERIOD, ATTENDANCE AND MONITORING:

- 15.1 (a) Ph.D. Research Scholars shall be required to be present as resident in the University for not less than three years to pursue full time research from the date of admission.
 - (b) The presence of research scholars in the University shall be duly recorded and maintained by the Department/Centre concerned. Seventy five percent attendances for all research scholars including JRF/RGNF etc. is compulsory for continuation of Ph.D. and payment /recommendation of any type of fellowship.
 - (c) The monthly attendance of the research scholar shall be counted on 20th date of every month for the payment /recommendation of fellowship.
 - (d) Ph.D. Research Scholars shall not be permitted to undertake any full time employment during residency period. However, if they attend or need to join any internship or training programme

- with due permission of the University, they may be allowed to get the remuneration or any type of payment in addition to fellowship.
- 15.2. (a) After completion of residency period research scholar may be permitted to take de-registration and she/he shall be allowed to submit Ph.D. thesis within a period of 10 years from the date of admission. Such seats shall be treated as vacant from the date of de-registration.
- (b) For the de-registration research scholar shall submit an application to BoS concerned through the supervisor.
- (c) The de-registered research scholar shall have to submit an application within prescribed period for re-registration and submission of thesis. The re-registered research scholar shall have to submit her/his thesis for evaluation within two semesters of re-registration.

16. LEAVE:

- 16.1 (a) A Ph.D. scholar may avail maximum 30 days of general leave (including medical leave) in a year, in addition to the general leave, academic leave for research field work, seminar, workshop, training programme etc. may also be granted based on the recommendation of the Supervisor concerned.
 - (b) If any research scholar avails more than 30 days of general leave, she/he shall be treated as absent for the excess period of leave availed. In such cases BoS may grant 10 days of additional general leave on the application of research scholar recommended by the Supervisor, if the case seems genuine in its opinion. Beyond 10 days of excess general leave, no general leave shall be permitted in any case and the admission/registration of the research scholar shall be automatically cancelled.
 - (c) In case, the supervisor is not allotted to a research scholar, all the applications of research scholar shall need to be recommended by the HoD/DoC.
- 16.2 The women candidates may be granted Maternity Leave/Child Care Leave once in the entire duration of M.Phil./Ph.D. up to 240 days. However, amendments made by the Govt. of India in respect of Maternity Leave/Child Care Leave shall be applicable automatically.
- 16.3 Any kind of fellowship and Ph.D. admission of research scholar is liable to be cancelled/legal action against the research scholar in the following cases:
 - a) If the research scholar is found to be ineligible to be admitted to Ph.D. programme and to receive the fellowship, at any point of time during the entire duration of the programme and fellowship.
 - b) Misconduct of research scholar, such as proven defamation against supervisor concerned and other faculty and authorities of the University; complaint to higher authorities without routing through proper channel - HoD, Dean and Vice Chancellor.
 - c) Unsatisfactory progress of research work.
 - d) More than one fellowship or any other income is drawn simultaneously.
 - e) Concealment of facts and any other ground of misconduct. As per clause 16.1 (b) of this Ordinance.

17. FELLOWSHIP:

- 17.1 Ph.D. research scholars will be provided fellowship as per guidelines of the UGC/funding agencies.
- 17.2 Non-NET fellowship shall commence from the date of admission.
- 17.3 The research scholar shall have to submit a declaration at the time of admission that if she/he does not complete/submit her/his research work to the University for the Award of degree or leaves the programme, shall have to return total amount of fellowship received from the University. The University shall ensure the measures to recover the amount.

18. RESEARCH PROPOSAL, PRE REGISTRATION SEMINAR AND REGISTRATION OF RESEARCH TOPIC:

- 18.1 (a) Upon satisfactory completion of course work, the candidate shall present her/his research proposal in pre-registration seminar before the BoS of the department/Centre, the second meeting of the academic session in which the candidate has been given provisional admission.
- (b) Candidate with M.Phil. degree shall present her/his research proposal in pre-registration seminar before the BoS of the department/Centre in the first meeting of the academic session in which the candidate has been given provisional admission.
- 18.2 Upon satisfactory completion of course work, the candidate with M.Phil. degree or without M.Phil. degree shall present her/his research proposal in pre-registration seminar before the BOS of the department/Centre, the meeting of which shall be held in the month of February of the academic session in which the candidate has been given provisional admission.
- 18.3 After approval of the research topic and supervisor of the candidate by the BoS, the candidate shall be registered for the Ph.D. programme.
- 18.4 The date of approval of BoS shall be regarded as the date of registration.
- 18.5 If a candidate fails to satisfy BoS she/he may be given another opportunity to submit research proposal before the BoS of the Department/Centre, the meeting of which shall be held in the month of August of the next academic session.
- 18.6 If BoS finds the candidate's research proposal is non-satisfactory, it shall provide to the candidate suggestions/advice in written.
- 18.7 If the candidate fails to satisfy BoS even in her/his second presentation, her/his provisional admission shall automatically be cancelled, as it is regarded as unsatisfactory work. In this case BoS needs to mention in the minutes its dissatisfaction over following areas:
 - i. Identification of research problem and methodology.
 - ii. Presentation of research proposal.
 - iii. Review of the Literature.

19. CHANGE OF RESEARCH TOPIC:

The BoS shall have the power to change the topic of research:

Under extra-ordinary circumstances the BoS may change the topic of research on request of the research scholar and the consent of the supervisor with duly recorded reasons in writing. The concerned topic may be changed within one year from the date of the registration of topic. The final approval of the research topic shall be given at the time of pre-submission.

20. PRE-SUBMISSION SEMINAR:

- 20.1 After completion of research work, prior to a maximum period of three (03) months of submission of the thesis, the candidate shall make a presentation based on the findings of her/his research work before the DRMC which shall also be open to all faculty members and other research scholars of the University. The feedback and suggestions made by the DRMC in writing shall suitably be incorporated into the draft thesis.
- 20.2 The supervisor concerned shall submit a certificate to DRMC regarding incorporation of suggestions/modification in the draft thesis.
- 20.3 If the DRMC is not satisfied with the presentation made by the research scholar and with quality of the research work, it shall record reasons and the research scholar may be asked to make presentation again within two months before the DRMC.

21. SUBMISSION OF THE THESIS:

- 21.1 Ph.D. Research Scholars must publish at least two research papers in refereed journals/UGC approved journals and make two paper presentations in conferences/seminars before the submission of the thesis for adjudication, and produce evidence for the same in the form of presentation certificates and reprints.
- 21.2 The Ph.D. thesis submitted by the scholar shall satisfy the requirement that it is a research work characterized by either the discovery of new facts or by fresh interpretation of facts or theories. It should reveal the scholar's capacity for critical examination, original thinking and critical judgment. Its literary presentation should also be satisfactory. The thesis must be submitted in the format prescribed by the University.
- 21.3 The thesis shall include a certificate in the format prescribed by the University from the Supervisor and the scholar that it incorporates the scholar's bona-fide research work and it has not been submitted for award of any other degree to this or to any other University or any Institute of learning.
- 21.4 The Academic Council of the University shall evolve a mechanism using well developed software and gadgets to detect plagiarism and other forms of academic dishonesty. While submitting for evaluation, the thesis shall have an undertaking from the research scholar and a certificate from the Research Supervisor attesting to the originality of the work, vouching that there is no plagiarism and that the work has not been submitted for the award of any other Degree/Diploma of the same University where the work was carried out, or to any other Institution.
- 21.5 The Research Scholar is required to submit thesis in following manner:
 - a. Four copies with hard binding and soft copies in CDs.
 - b. Four copies of the summary containing findings of research work presented in the thesis.
 - c. Certificates as provided in the appendix.
- 21.6 The HoD/DoC shall forward the thesis to the Department of Examinations for evaluation within one week of the submission of the thesis.

22. EVALUATION OF THE THESIS & VIVA-VOCE:

22.1 The Ph.D. thesis submitted by a research scholar shall be evaluated by two external examiners, who are not in employment of the University, of whom one examiner may be from outside the country.

For the purpose of appointing the said two external examiners, a list of six proposed examiners (with their contact number, e-mail ID & Postal address), who have expertise in the field associated with the Ph.D. research topic shall be submitted by the concerned Supervisor to the Head of the concerned Department/Director of the Centre within one week after successful completion of the pre submission seminar. The list of proposed examiners shall be forwarded by the HoD/DoC concerned to the Department of Examinations within one week of the receipt of the said list. The list of proposed examiners shall be forwarded by the Controller of Examinations to the Vice Chancellor within two weeks of the receipt of the said list.

The Vice Chancellor shall appoint two examiners for evaluation of the Ph.D. thesis, out of the aforesaid list of the proposed examiners.

- 22.2 The open viva-voce of the research scholar to defend the thesis shall be conducted only if the evaluation reports of both the external examiners on the thesis are satisfactory. The degree of the Ph.D. shall be awarded only after successful completion of viva-voce.
- 22.3 If one of the evaluation reports of the external examiner is unsatisfactory, then University shall send the thesis to a third external examiner and the viva-voce examination shall be held only if the report of

- such third examiner is satisfactory. If the report of such third examiner is also unsatisfactory, the thesis shall be rejected and the research scholar shall be declared ineligible for the award of the degree.
- 22.4 The third examiner for evaluation of the Ph.D. thesis, if necessary as aforesaid, shall be appointed by the Vice Chancellor, from the list of the six examiners originally proposed.
- 22.5 If any external examiner suggests modifications in the thesis the same shall be sent to the same examiner after modifications.
- 22.6 (a) The viva-voce examination shall be conducted by the Viva-Voce Board which shall consist of the following members:

i. The Head of the Department/Director of the Centre : Chairperson

ii. The concerned supervisor : Member

iii. One of the External examiners, who has evaluated the Ph.D. thesis : Member

- (b) For this purpose the list of the two evaluators shall be forwarded by the Controller of Examinations to the Vice Chancellor, who shall appoint one of the evaluator, with her/his consent, to be on the Viva-voce Board.
- 22.7 After the constitution of Viva-Voce Board it shall be communicated by the Controller of Examinations to the Head of the concerned Department (HoD)/Director of the concerned Centre (DoC), who shall complete other formalities including fixing the date for the conduct of the Viva-voce *Examination* in consultation with the other members of the Viva- voce Board. Such date for the conduct of the aforesaid examination shall be finalized within one month of the receipt of the final list of the members of the Viva-Voce Board by the concerned HoD/DoC.
- 22.8 The Viva-Voce examination shall be open to be attended by all faculty members of the Department/Centre, Research Scholars and other interested faculty members, experts/researchers of the university and outside the University.
- 22.9 The report of the Viva-Voce Examination shall be forwarded by the HoD/DoC to the Controller of Examinations on the same/next working day of the conduct of the Viva-Voce Examination. The result of such Viva-Voce Examination shall be declared by the Controller of Examinations within one week of the receipt of such report.
 - 22.9.1 The scholar shall be provided the reports of the thesis if there are any corrections or modifications suggested.
 - 22.9.2 If a research scholar does not secure minimum fifty five percent of total credits, she/he shall not be awarded the Ph.D. degree.

23. LANGUAGE:

- 23.1 The Language of the thesis and summary shall be 'Hindi' written in Devnagari script.
- 23.2 The summary of the thesis may be submitted in English also.
- 24. Award of Ph.D. degrees or degrees awarded by foreign Universities prior to Notification/implementation of UGC (Minimum standard and procedure for award of M.Phil./Ph.D. Degrees) Regulation, 2016
 - 24.1 Award of Degrees to the Research Scholars registered for the Ph.D. Programme on or after July 11, 2009 till the date of implementation of the *UGC* (Minimum standard and procedure for award of

- *M.Phil./Ph.D. Degrees*) Regulation, 2016 by the University shall be governed by the provisions of the UGC (*Minimum Standards and procedure for Awards of M.Phil./Ph.D. Degree*) Regulation, 2009.
- 24.2 If the Ph.D. degree is awarded by a Foreign University, the University considering such a degree shall refer the issue to the Equivalence Committee constituted by the University, for the purpose of determining the equivalence of the degree awarded by the foreign University.
- 24.3 Prior to the actual award of the degree, University shall issue a provisional certificate to the effect that the Degree has been awarded in accordance with the provisions of *UGC* (*Minimum standard and procedure for award of M.Phil./Ph.D. Degrees*) Regulation, 2009/2016 (whichever is applicable).
- **25.** The University shall develop appropriate methods so as to complete the entire process of evaluation of Ph.D. thesis within a period of six months from the date of submission of the thesis.
- **26.** The University shall develop a proper format for the evaluation of the thesis by the examiner(s). (See appendix II)

27. DEPOSITORY WITH INFLIBNET:

Following the successful completion of the evaluation process and before the announcement of the award of the Ph.D. degree(s), the University shall submit an electronic copy of the Ph.D. thesis to the INFLIBNET for hosting the same so as to make it accessible to all Institutions/Colleges.

28. APPLICABILITY OF THIS ORDINANCE:

This ordinance shall replace all the earlier ordinances and shall be applicable from the date of the approval of Academic Council.

29. REMOVAL OF DIFFICULTIES:

Notwithstanding anything contained in this ordinance, the Vice Chancellor may take such measures, as may be necessary, in accordance with provisions of UGC (Minimum Standards and procedure for Award of M.Phil./Ph.D. Degrees) Regulation, 2016

टिप्पणीः पी-एच.डी. अध्यादेश में होने वाले संशोधन विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अधिसूचित किये जाएंगे। अतः अभ्यर्थी विश्वविद्यालय की वेबसाइट का अवलोकन करते रहें।

Appendix-I

Format for the Thesis (As a Part of Ordinance)

1. शोध-प्रबंध का मुख्य पृष्ठ:

- (क) शोध-प्रबंध का शीर्षक क्रमश: हिंदी एवं अंग्रेजी में
- (ख) पी-एच.डी. उपाधि हेतु प्रस्तुत शोध-प्रबंध
- (ग) शोधार्थी एवं शोध-निर्देशक का नाम
- (घ) विश्वविद्यालय का 'लोगो'
- (ड.) प्रस्तुति वर्ष
- (च) विभाग एवं विश्वविद्यालय का क्रमश: पूरा नाम

2. शोध-प्रबंध के मुख्य पृष्ठ हेतु प्रस्तावित रंग: गहरा नीला

3. शोध-प्रबंध प्रस्तुतीकरण:

- (क) संदर्भ पद्धति : APA
- (ख) Kokila/Arial Unicode
- (ग) फॉन्ट साइज-16
- (घ) दो लाइनों के बीच की दूरी 1.5

4. शोध-प्रबंध का प्रस्तावित प्रारूप:

- i) घोषणा-पत्र/प्रमाणपत्र (शोधार्थी एवं निर्देशक की ओर से एक ही होगा)
- ii) भूमिका
- iii) विषयानुक्रमणिका
- iv) संक्षिप्ताक्षर (यदि आवश्यकता हो)
- v) अध्यायवार मूल अंतर्वस्तु
- vi) संदर्भ सूची
- vii) परिशिष्ट (यदि आवश्यकता हो)

विपंजीयन एवं पुनः पंजीयन

- 03 वर्ष की न्यूनतम आवासीय अविध पूर्ण करने अथवा 06 वर्ष की कुल अविध पूर्ण करने के उपरांत शोधार्थी को विपंजीयन की सुविधा प्राप्त हो सकेगी।
- यह सुविधा 03 वर्ष की न्यूनतम आवासीय अविध पूर्ण करने पर ऐच्छिक तथा 06 वर्ष की कुल अविध पूर्ण करने के उपरांत अनिवार्य होगी। 06 वर्ष की अविध पूर्ण होने तक शोध प्रबंध जमा न करने अथवा विपंजीयन हेतु आवेदन प्रस्तुत न करने पर अभ्यर्थी का पी-एच.डी. पंजीयन स्वतः निरस्त हो जाएगा।
- विपंजीयन के बाद पंजीयन की तिथि से 10 वर्ष की अवधि के भीतर पुनः पंजीयन करना अनिवार्य हैं, अन्यथा उपाधि हेतु शोध प्रबंध प्रस्तुत करने की अनुमित नहीं होगी।
- पुनः पंजीयन के उपरांत एक वर्ष की अविध के भीतर शोध प्रबंध परीक्षार्थ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- विपंजीयन एवं पुनः पंजीयन हेतु आवेदन शोध निर्देशक के माध्यम से संबंधित विभागाध्यक्ष / निदेशक को प्रस्तुत करना होगा, जिस पर संबंधित अध्ययन मंडल का निर्णय मान्य होगा।
- पुनः पंजीयन हेतु आवेदन के साथ रु. 1200 / (एक हजार दो सौ) का शुल्क जमा करना होगा।



(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997 क्रमांक 3 के अन्तर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)

एम.फिल./पी-एच.डी/डी.लिट्. उपाधि हेतु सत्यनिष्ठा एवं साहित्यिक चोरी संबंधी शपथ-पत्र

	मैं पुत्र/पुत्री/पत्नी	श्री/श्रीमती	
(विभाग	का नाम*) (विद्या	पीठ का नाम*) के	
अंतर्गत	महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा की एम.फि	न./पी-एच.डी/डी.लिट्. उपाधि हेतु नियमित शोधार्थी हूँ।	
	मेरा शोध विषय है।		
	मैं, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (उच्चतर शिक्षा संस्थानों में	अकादिमक सत्यनिष्ठा एवं साहित्यिक चोरी रोकथाम को	
प्रोत्साह	न) विनियम, 2018 के अधीन, सत्यनिष्ठा पूर्वक यह शपथ-पत्र प्रस्त्	ात करता/करती हूँ कि -	
1.	उपर्युक्त विषयक शोध-कार्य स्वयं मेरे द्वारा संपन्न किया गया है अ लिखे गये हैं।	गैर इसमें प्रस्तुत समस्त दस्तावेज़ मौलिक रूप से मेरे द्वारा	
2.	उपर्युक्त विषयक शोध-कार्य में स्वयं मेरे द्वारा लिखित/प्रस्तुत किर किया गया है।	ती पूर्व प्रकाशित सामग्री का, बिना संदर्भ के, उपयोग नहीं	
3.	उपर्युक्त विषयक शोध-कार्य, मेरे अधिकतम संज्ञान में, साहित्यिक	चोरी/नकल से पर्णतः मक्त है।	
	उपर्युक्त विषयक शोध-कार्य अब तक अप्रकाशित है और महाव	मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा अथवा	
	अन्य किसी भारतीय/विदेशी विश्वविद्यालय या संस्थान की किसी		
5.	उपर्युक्त विषयक शोध-कार्य में किसी भी प्रकार की साहित्यिक चे		
	से उत्तरदायी होऊँगा/होऊँगी। मैं इस तथ्य से भलीभाँति अवर		
	अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा अथवा विधि द्वारा विहित दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी और मुझे प्राप्त उपाधि रद्द		
	कर दी जाएगी। साथ ही, अर्जित लाभ (सेवायोजन, शोधवृत्ति आदि) से वंचित कर दिया जाएगा और पूर्व में प्राप्त समस्त परिलाभों की भरपाई भी करनी होगी।		
6.	. महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा द्वारा प्रौद्योगिकी आधारित सत्यनिष्ठा एवं साहित्यिक चोरी की जाँच		
	की रिपोर्ट में भी यदि ऐसा पाया जाता है तो भी मुझे विश्वविद्यालय अथवा विधि द्वारा विहित कोई भी कार्रवाई सर्वथा		
	स्वीकार होगी।	300 00 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	
दिनांक	:		
स्थान :			
		(हस्ताक्षर*)	
		शोधार्थी का नाम:	
		पंजीयन संख्याः	
		ई-मेल:	
		संपर्क नंबर:	
 @ प्रविश	 ष्टे दर्ज करते हुए चिह्नित (*) को हटा दें।		
	-पत्र रु. 100 के नोटराइज्ड नॉन-ज्यूडिशियल स्टांप पेपर पर प्रस्तुत करें।		



(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997 क्रमांक 3 के अन्तर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)

एम.फिल./पी-एच.डी/डी.लिट्. उपाधि हेतु शोध-निर्देशक का प्रमाण-पत्र

श्री/सुश्री/इ	/डॉ(विभाग व	ज नाम*)
	ठि का नाम*)के अंतर्गत महात्मा गांधी कम/कार्यक्रम का नाम*) एम.फिल्त./पी-एच.डी/डी.लिट्. उपाधि हेतु नियमि	
	श्री/सुश्री/डॉ ने मे	
	मैं, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (उच्चतर शिक्षा संस्थानों में अकादिमव न) विनियम, 2018 के अधीन, यह प्रमाणित करता/करती हूँ कि-	क सत्यनिष्ठा एवं साहित्यिक चोरी रोकथाम के
1. उ	उपर्युक्त विषयक शोध-कार्य मेरे निर्देशन में शोधार्थी द्वारा स्वयं संपन्न किया	गया है।
2. उ	उपर्युक्त विषयक शोध-कार्य शोधार्थी का मौलिक लेखन है एवं साहित्यिक च	गेरी से पूर्णतः मुक्त है।
ि	उपर्युक्त विषयक शोध-कार्य, मेरे अधिकतम संज्ञान में, अब तक अप्रका विश्वविद्यालय, वर्धा अथवा अन्य किसी भारतीय/विदेशी विश्वविद्यालय या नहीं किया गया है।	
दिनांक: स्थान:		
		(हस्ताक्षर*)
		ध-निर्देशक का नाम:
		नाम:
		भागः नेलः
		र्कि नंबर:
प्रविष्टि दर्ज	र्ज करते हुए चिह्नित (*) को हटा दें।	



(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997 क्रमांक 3 के अन्तर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)

दिनांक/Dat

एम.फिल./पी-एच.डी/डी.लिट्. उपाधि हेतु सत्यनिष्ठा / साहित्यिक चोरी सत्यापन

Integrity / Plagiarism Verification for M.Phil./Ph.D./D.Litt. Degree

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (उच्चतर शिक्षा संस्थानों में अकादिमक सत्यिनिष्ठा एवं साहित्यिक चोरी रोकथाम को प्रोत्साहन) विनियम, 2018 के अधीन

- 12. - 2.0	
शोध-प्रबंध का शीर्षक / Title of the Thesis	
कुल पृष्ठ / Total Page	
शोधकर्ता / Researcher	
शोध-निर्देशक / Supervisor	
विभाग / Department	
विद्यापीठ / Institution	

उपर्युक्त शोध-प्रबंध को समानता की जाँच* के लिए स्कैन किया गया, जिसकी प्रक्रिया और परिणाम का विवरण नीचे प्रदर्शित है/ This is to report that the above thesis was scanned for similarity detection. Process and outcome is given below:

सॉफ्टवेयर प्रयोग/ Software used	दिनांक / Date
समानता सूची / Similarity Index	कुल शब्द गणना / Total word count

संपूर्ण रिपोर्ट शोध-निर्देशक/विभागाध्यक्ष द्वारा पुनरीक्षण के लिए प्रस्तुत की जाती है। The complete report is submitted for review by the Supervisor/HOD

जाँचकर्ता के हस्ताक्षर/ Signature पूरा नाम / Full Name

सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष/ पुस्तकालयाध्यक्ष Assistant Librarian/ Librarian

उपर्युक्त शोध-प्रबंध की पूरी रिपोर्ट की अधोहस्ताक्षरी द्वारा समीक्षा की गई है।

The complete report of the above thesis has been reviewed by the undersigned.

- समानता सूची स्वीकृत मानदंडों के अनुसार निम्नानुसार है
 The similarity index is below accepted norms
- निम्नलिखित कारणों से समानता सूची स्वीकृत मानदंडों से ऊपर है:

The similarity index is above accepted norms, because of the following reasons:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

शोध-प्रबंध को परीक्षणार्थ प्रस्तुत/उपाधि प्रदान किये जाने हेतु विचार किया जा सकता है (संबंधित दस्तावेज संलग्न)।

The thesis may be submitted for evaluation / considered for the award of degree (Relevant documents attached).

शोधार्थी (तिथिसहित हस्ताक्षर) Research Scholar (Signature with Date) शोध-निर्देशक (तिथि सहित हस्ताक्षर) Supervisor (Signature with Date)

* पृष्ठांकित 1/2

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (उच्चतर शिक्षा संस्थानों में अकादिमक सत्यिनष्ठा एवं साहित्यिक चोरी रोकथाम को प्रोत्साहन) विनियम, 2018 के प्रावधानानुसार

* साहित्यिक चोरी के स्तर :

Levels of Plagiarism:

साहित्यिक चोरी को परिभाषित करने के प्रयोजनार्थ उसकी गंभीरता के बढ़ते क्रम में साहित्यिक चोरी की निम्नवत स्तरों में मापा जाएगा:

Plagiarism would be quantified into following levels in ascending order of severity for the purpose of its definition:

- स्तर शून्य : दस प्रतिशत तक समानता थोड़ी बहुत समानताएँ, कोई दंड नहीं।
 - Level 0 : Similarities upto 10% Minor similarities, no penalty
- 2. प्रथम स्तर: दस प्रतिशत से चालीस प्रतिशत तक समानताएँ।
 - Level 1 : Similarities above 10% to 40 %
- 3. द्वितीय स्तर : चालीस प्रतिशत से साठ प्रतिशत तक समानताएँ।
 - Level 2: Similarities above 40% to 60%
- 4. तृतीय स्तर : साठ प्रतिशत से अधिक समानताएँ।
 - Level 3: Similarities above 60%



(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997 क्रमांक 3 के अन्तर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)

शोध-पत्र/परियोजना/अन्य प्रकाशन संबंधी

सत्यनिष्ठा एवं साहित्यिक चोरी विषयक घोषणा-पत्र

	मैं पुत्र/पुत्र	गि/पत्नी श्री/श्रीमती		(विभाग
का नाम	i*)	(विद्यापीठ का नाम*)		के अंतर्गत
	गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा मे			
	/असिस्टेंट प्रोफेसर/		हूँ। मेरा शोध-पत्र/परियोजना/प्र	काशन का
शीर्षक		है।		
	मैं, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (उच्चतर शिक्षा र	संस्थानों में अकादमिक सत	यनिष्ठा एवं साहित्यिक चोरी रो	कथाम को
प्रोत्साह	न) विनियम, 2018 के अधीन, सत्यनिष्ठा पूर्वक यह घो	षणा करता/करती हूँ कि -		
प्रस्तुत स	उपर्युक्त शीर्षक शोध-पत्र/परियोजना/(प्रकाशन का ३ उमस्त दस्तावेज मौलिक रूप से मेरे द्वारा लिखे गये हैं।	भन्य प्रकार लिखें*) स्वयं	मेरे द्वारा संपन्न किया गया है	और इसमें
1.	उपर्युक्त शीर्षक शोध-पत्र/परियोजना/(प्रकाशन का अ बिना संदर्भ के, उपयोग नहीं किया गया है।	न्य प्रकार लिखें*) में स्वयं ग	नेरे द्वारा लिखित/प्रस्तुत किसी र	तामग्री का,
2.	उपर्युक्त शीर्षक शोध-पत्र/परियोजना/(प्रकाशन का अ से पूर्णतः मुक्त है।	न्य प्रकार लिखें*), मेरे अि	धेकतम संज्ञान में, साहित्यिक ^न	वोरी/नकल
3.	उपर्युक्त शीर्षक शोध-पत्र/परियोजना/(प्रकाशन का अ	न्य प्रकार लिखें*) अब तक	अप्रकाशित है।	
4.	उपर्युक्त शीर्षक शोध-पत्र/परियोजना/(प्रकाशन का अ भी पता चलता है तो उसके लिए मैं हर प्रकार से उत्त पाये जाने पर मेरे विरुद्ध महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हि की जाएगी। साथ ही, अर्जित लाभ (सेवायोजन, शो समस्त परिलाभों की भरपाई भी करनी होगी।	रदायी होऊँगा/होऊँगी। मैं इ हेंदी विश्वविद्यालय, वर्घा अ	स तथ्य से भलीभाँति अवगत थवा विधि द्वारा विहित दंडात्म	हूँ कि ऐसा क कार्रवाई
दिनांक:				
स्थान:				
			(हस्ताक्षर*)	
			(पूरा नाम)	
			पता:	
			ई-मेल: 	
			संपर्क नंबर:	••••
 प्रविष्टि द	 र्ज करते हुए चिह्नित (*) को हटा दें।			

छात्र सहमति फॉर्म STUDENT APPROVAL FORM

Name of the Author	:	
लेखक का नाम	:	
Name of the Department विभाग का नाम	:	
Name of the Degree उपाधि का नाम	:	
Name of the University विश्वविद्यालय का नाम	:	
Name of the Guide गाइड का नाम	:	
Thesis Title (in English)	:	
शोध का शीर्षक (हिंदी में)	:	
Year of Award उपाधि / सम्मान का वर्ष	:	

करार / Agreement

- मैं, प्रमाणित करता हूं कि यदि उचित/उपयुक्त हो– मैंने, मेरे थिसिस / शोध प्रबंध में शामिल करने के लिए किसी भी तृतीय पक्ष द्वारा कॉपीराइट किए गए मामले के संपादक/मालिक(ओं) से लिखित अनुमित/ स्वीकृति से प्राप्त और संलग्न किया है, नीचे निर्दिष्ट विवरणानुसार वितरण की अनुमित देता हूँ।
 - I, hereby certify that, if appropriate, I have obtained and attached hereto a written permission/statement from the owner(s) of each third party copyrighted matter to be included in my thesis/dissertation, allowing distribution as specified below.
- 2. मैं, विश्वविद्यालय और उसके एजेंटों को संग्रहित और सुलभ बनाने के लिए गैर-विशिष्ट लाइसेंस प्रदान करता हूं, नीचे निर्दिष्ट शर्तों के तहत, मेरी थीसिस / शोध प्रबंध, पूरी तरह से या कुछ हिस्सों में मीडिया के सभी रूपों में, अब/ इसके बाद जाना जाए। मैं, थीसिस / शोध प्रबंध के कॉपीराइट के लिए अन्य सभी स्वामित्व अधिकार बनाए रखता हूं। मैं, इस थीसिस, शोध प्रबंध, या परियोजना रिपोर्ट के सभी या हिस्से के भविष्य के कार्यों (जैसे लेख या पुस्तकें) में उपयोग करने का अधिकार भी बरकरार रखता हूं।
 - I hereby grant to the university and its agents the non-exclusive license to archive and make accessible, under the conditions specified below, my thesis/dissertation, in whole or in part in all forms of media, now or hereafter known. I retain all other ownership rights to the copyright of the thesis/dissertation. I also retain the right to use in future works (such as articles or books) all or part of this thesis, dissertation, or project report.

शर्ते / Conditions :

1. दुनिया भर में पहुंच के लिए पूरे कार्य को उपलब्ध कराया जाए Release the entire work for access worldwide

पृष्ठ 1 कुल 2

2. मेरे पूरे कार्य को 'मेरे विश्वविद्यालय' द्वारा उपलब्ध कराया जाए Release the entire work for 'My University' only for 1 वर्ष के लिए / 1 Year 2 वर्ष के लिए / 2 Year 3 वर्ष के लिए / 3 Year और इस समय के बाद दुनिया भर में पहुंच के लिए कार्य को मुक्त किया जाए and after this time release the work for access worldwide.	
3. पूरे काम को 'मेरे विश्वविद्यालय' के लिए छोड़ दें जबिक वैश्विक अभिगम के लिए एक ही समय में काम के निम्निलिखित हिस्सों को जारी किया जाए (उदाहरणर्थ अन्य हिस्से जो प्रकाशनों से संबंधित हैं)। Release the entire work for 'My University' only while at the same time releasing the following parts of the work (e.g. because other parts relate to publications) for worldwide access. a) ग्रंथसूची विवरण और केवल सारांश।	
Bibliographic details and Synopsis only. b) ग्रंथ सूची विवरण, सारांश और निम्नलिखित अध्याय केवल। Bibliographic details, synopsis and the following chapters only.	
c) पूर्वावलोकन / सामग्री की तालिका /24 पृष्ठ केवल। Preview/Table of Contents/24 page only.	
4. केवल देखें (विश्वव्यापी) (कोई डाउनलोड नहीं) View Only (No Downloads) (worldwide)	

शोधार्थी के हस्ताक्षर Signature of the Scholar गाइड के हस्ताक्षर और मुहर Signature and seal of the Guide

स्थान/Place :
दिनांक/Date :

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पी-एच.डी. संबंधी विनियम

<u>UGC (Minimum Standards and Procedure for Award of M.PHIL./PH.D Degrees) Regulations, 2016 (F. 1-2/2009 (EC/PS) V(I) dt. 05.5.2016)</u>

https://www.ugc.ac.in/pdfnews/4952604_UGC-(M.PHIL.-PH.D-DEGREES)-REGULATIONS,-2016.pdf

<u>University Grants Commission(Minimum Standards and Procedure for Award of M.Phil /Ph.D. Degrees)(2nd Amendment) Regulations,2018</u>

https://www.ugc.ac.in/pdfnews/1928583_UGC-Regulation_MPhil-PhD-2ndAmendment.pdf







कोविड-19 जागरकता

कोरोनावायरस से बचाव के उपाय


आपस में कम से कम 1 मीटर की दुरी, सबकी सरक्षा के लिए जरुरी

बुखार सांस की तकलीफ











- कोरोना वायरस के बढते फैलाव के मद्देनजर दिनांक 17 फरवरी 2020 को कोरोना वायरस के बारे में जागरूकता और सावधानियाँ आदि के संबंध में विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. रजनीश कुमार शुक्ल तथा सिविल सर्जन डॉ. पुरुषोत्तम मडावी द्वारा कोरोना वायरस के संक्रमण से रोकथाम के संबंध में अधिकारियों तथा शैक्षणिक कर्मियों को संबोधित कर जानकारी दी गयी।
- दिनांक 16.03.2020 (सोमवार) को जिला शल्य चिकित्सक डॉ. पुरुषोत्तम मडावी का कोरोना जागरूकता विषय पर ऑनलाइन रिकार्ड किया व्याख्यान गया। जो https://www.youtube.com/watch?v=-LmkrpfoUpQ लिंक पर उपलब्ध है।




दिनांक 21 मार्च 2020 को प्रो. रजनीश कुमार शुक्ल, कुलपति ने कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव हेतु महत्त्वपूर्ण संदेश जारी किया, जो https://youtu.be/YQgf-9BKTsQ लिंक पर उपलब्ध है।

दिनांक 23 अप्रैल 2020 को प्रो. रजनीश कुमार शुक्ल, क्लपति ने कोविड-19 के संक्रमण से बचाव के संदर्भ में अपील की. जो https://youtu.be/7ADfnVH2fLE लिंक पर उपलब्ध है।





वर्धा महाराष्ट्र राज्य का एक जिला मुख्यालय है जो







महत्त्वपूर्ण तथ्य

- 🖶 कोविड-19 महामारी के दौरान भी छात्र-छात्रों की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए छात्रावास अनवरत खुले रहे।
- चिद्यार्थियों के शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य के लिए विश्वविद्यालय कार्यदिवस में कार्यालयीन अविध के दौरान टोल फ्री नं. 18002332141 की सुविधा उपलब्ध करायी गयी है। परामर्श हेतु दो काउसंलर कर्तव्यस्थ किये गये हैं।
- चे कोविड-19 से बचाव हेतु संपूर्ण पिरसर का नियमित सेनेटाइज़ेशन किया जा रहा है। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन सुनिश्चित किया गया है।
- सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करते हुए जरूरतमंद लोगों को विश्वविद्यालय द्वारा सहायता एवं सहयोग प्रदान किया गया।
- कोविड-19 महामारी के कारण फैली निराशा के बीच भी सामान्य न्यूनतम आवश्यक कार्य के साथ-साथ सामान्य अनुसंधान एवं अध्ययन-अध्यापन की निरंतरता बनी हुई है।
- शारीरिक दूरी, मुखावरण (फेस मास्क) आदि सुरक्षात्मक उपायों के साथ विश्वविद्यालय के कोविड-19 से मुक्त परिसर में अध्ययन-अध्यापन एवं शोध की गतिविधियों को निरंतरता प्रदान की जा रही है। ऐसे सुरक्षित परिसर में नवागंतुक छात्रों के योगक्षेम की चिंता करते हुए उनके बेहतर भविष्य के लिए विश्वविद्यालय बद्धपरिकर है।
- सामान्य स्थिति बहाल होने तक विश्वविद्यालय अध्ययन-अध्यापन की निरंतरता को बनाए रखते हुए
 सभी कार्यक्रम सरल व सुलभ तकनीक का प्रयोग कर ऑनलाइन माध्यम से संचालित करता रहेगा।



महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय

(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997, क्रमांक 3 के अंतर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय) गांधी हिल्स, वर्धा - 442 001 (महाराष्ट्र) भारत

फोन : (07152) 251661

ई-मेल : admissionmgahv@gmail.com, वेबसाइट : www.hindivishwa.org